मोपा ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा, गोवा में

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण(एएआई)

और

जीएमआर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड(जीजीआईएएल)

के बीच

दिनांक 04 जुलाई, 2018 को

सीएनएस/एटीएम सुविधाओं और सेवाओं के प्रावधान के लिए समझौता'

सीएनएस/एटीएम सुविधाओं और सेवाओं के प्रावधान के लिए समझौता

यह समझौता **04 जुलाई, 2018** को संपन्न हुआ:

1) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जिसे इसके बाद एएआई कहा जाता है, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के तहत गठित एक प्राधिकरण है, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली 110 003, भारत ("एएआई") में है; और
2) जीएमआर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत सीमित देयता के साथ निगमित एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय सं. 381/3, मथुरा वन, फर्स्ट फ्लोर, एनएच17, पोरवोरिम, गोवा 403501 में है, जिसे इसके बाद ("जीजीआईएएल") कहा जाता है।

"एएआई" और "जीजीआईएएल" अभिव्यक्तियों का अर्थ और समावेश जहाँ भी संदर्भ प्रकट होता है, उनके संबंधित उत्तरवर्ती-हित (successor-in-interest) और अनुमत समनुदेशिती (permitted assigns) से होगा और इन्हें सामूहिक रूप से "पक्षों" और व्यक्तिगत रूप से "पक्ष" के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

जबकि:

क. जीजीआईएएल उड़ान संचालन के लिए गोवा राज्य के मोपा में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे को डिज़ाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण (DBFOT) करने का प्रस्ताव करता है।
ख. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के अनुसार भाविप्रा भारतीय हवाई क्षेत्र के भीतर और भारत के सभी नागरिक हवाईअड्डों पर एयर ट्रैफिक सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।
ग. उपर्युक्त अधिनियम के अनुसार, भाविप्रा इस समझौते में निर्धारित नियमों और शर्तों पर हवाईअड्डे पर एयर ट्रैफिक सेवाएं प्रदान करेगा।

यह सहमति इस प्रकार है:

1. परिभाषाएं और व्याख्या

1.1 परिभाषाएं इस समझौते में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षा न करे:

- **"एएआई कमीशनिंग सर्विसेज"** का अर्थ खंड 4.3 के अनुसार एएआई द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं;

  "एएआई उपकरण" का अर्थ जीजीआईएएल उपकरणों के अलावा अन्य सभी उपकरण हैं, जो एएआई को प्रासंगिक इकाओ एनेक्सेस और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुसार सी/एटीएम सेवाएं करने में सक्षम बनाने के लिए एएआई द्वारा आवश्यक हैं;

  "एएआई ऑपरेटिव सर्विसेज" का अर्थ खंड 5.1 के अनुसार एएआई द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं;

"एएआई प्री-कमीशनिंग सर्विसेज" का अर्थ खंड 3.2 के अनुसार एएआई द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं;

"एएआई सर्विसेज" का अर्थ एएआई प्री-कमीशनिंग सर्विसेज, एएआई कमीशनिंग सर्विसेज और एएआई ऑपरेटिव सर्विसेज है;

"प्रभावित पक्ष" का वही अर्थ होगा जो इसे खंड 9 में दिया गया है; **"सहयोगी" (Affiliate)** का अर्थ है:

a) कोई व्यक्ति जो किसी पक्ष की सहायक कंपनी (subsidiary) है

b) कोई व्यक्ति जिसकी सहायक कंपनी कोई पक्ष है

c) कोई व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति की सहायक कंपनी है जिसकी सहायक कंपनी कोई पक्ष है

इस परिभाषा के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की "सहायक कंपनी" है यदि बाद वाला व्यक्ति कानूनी रूप से या लाभकारी रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, पहले वाले के शेयर ऐसे रखता है जो शेयरधारकों की आम बैठक में साधारण परिस्थितियों में 51% या अधिक वोट डालने के लिए पर्याप्त हैं।

"एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम" का अर्थ प्रासंगिक ICAO एनेक्सेस और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित विमान संचालन और एयरोड्रोम श्रेणी के लिए आवश्यक हवाईअड्डे पर प्रकाश व्यवस्था (रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और अप्रोच के संबंध में शामिल) है;

- **"हवाईअड्डा"** का अर्थ गोवा राज्य के मोपा में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इसमें इसकी सभी इमारतें, उपकरण, सुविधाएं और प्रणालियां शामिल हैं और इसमें जहां परिस्थितियां आवश्यक हों, इसका कोई भी विस्तार शामिल है,;
- **"हवाईअड्डा प्रारंभ होने की तिथि"** का अर्थ वह तिथि है जिस दिन चरण 1 का वाणिज्यिक संचालन शुरू होता है;
- **"हवाई अड्डा खुलने की लक्षित तिथि"** का अर्थ नियुक्त तिथि से छत्तीस (36) महीने बाद आने वाली तिथि या जीजीआईएएल द्वारा समय-समय पर संशोधित तिथि है;
- **"शिकागो कन्वेंशन"** का अर्थ शिकागो कन्वेंशन 1944 है जैसा कि समय-समय पर संशोधित और/या पूरक किया गया है; और शिकागो कन्वेंशन के किसी "एनेक्से" (अभिसमय) के संदर्भ का अर्थ ऐसे एनेक्से (अभिसमय) से होगा जैसा कि समय-समय पर संशोधित और/या पूरक किया गया है;
- **"क्लीयरेंस"** का अर्थ लिखित सहमति, लाइसेंस, अनुमोदन, अनुमति, रूलिंग, छूट, अनापत्ति प्रमाण पत्र या किसी भी अन्य प्रकृति का प्राधिकरण या अनुमति है जो परियोजना के संबंध में समय-समय पर भारत सरकार से प्राप्त किया जाना आवश्यक है और/या भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाना आवश्यक है;
- **"सीएनएस/एटीएम सर्विसेज"** का अर्थ कम्युनिकेशन, नेविगेशन और सर्विलांस और एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सर्विसेज है जैसा कि अनुसूची 3 में अधिक विशेष रूप से वर्णित है;

"रियायत समझौता" का अर्थ गोवा सरकार और जीजीआईएएल के बीच 8 नवंबर 2016 को दर्ज किया गया रियायत समझौता है जिसके तहत गोवा सरकार ने जीजीआईएएल को परियोजना के लिए रियायत दी है।

"सक्षम प्राधिकारी" (Competent Authority) का अर्थ भारत के कानूनों के तहत स्थापित और इस समझौते पर अधिकार क्षेत्र रखने वाली कोई भी एजेंसी, प्राधिकरण, विभाग, निरीक्षणालय, या सांविधिक व्यक्ति (स्वायत्त हो या नहीं) है;

"ऋण" (Debt) का अर्थ परियोजना के लिए वित्तपोषण समझौतों के तहत जीजीआईएएल के ऋणदाताओं को देय बकाया ऋण है;

"डीजीसीए" का अर्थ नागर विमानन महानिदेशक, भारत सरकार है;

"प्रभावी तिथि" (Effective Date) का वह अर्थ होगा जो इसे खंड 2.3 में दिया गया है;

"ईपीसी ठेकेदार" (EPC Contractors) का अर्थ ईपीसी अनुबंधों में इस प्रकार नामित कोई भी एक या अधिक पक्ष है;

"ईपीसी अनुबंध" (EPC Contracts) का अर्थ जीजीआईएएल और ईपीसी ठेकेदारों के बीच दर्ज किए गए या किए जाने वाले समझौते हैं जिनके तहत ईपीसी ठेकेदार हवाईअड्डे का डिजाइन, खरीद, निर्माण और पूर्ण करेंगे;

"मौजूदा हवाई अड्डा" (Existing Airport) का अर्थ डैबोलिम में मौजूद मौजूदा हवाईअड्डा है जिसे "गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट" के रूप में जाना जाता है;

"विस्तार" (Expansion) का अर्थ मास्टर प्लान के अनुसार समय-समय पर हवाईअड्डे पर सुविधाओं का विस्तार है;

"सुविधा" (Facility) का अर्थ हवाईअड्डे पर जीजीआईएएल द्वारा निर्मित की जाने वाली एयर ट्रैफिक सर्विसेज परिसर है, जिसमें एएआई कर्मियों के लिए एक कंट्रोल टॉवर, तकनीकी ब्लॉक और कार्यालय आवास के साथ-साथ साइट पर और/या साइट से बाहर नेविगेशनल सहायक उपकरण/रडार के लिए एयर-कंडीशनिंग, बिजली की दोहरी बिजली आपूर्ति, डेटा ओएफसी/टेलीफोन कनेक्टिविटी और पानी तथा हाउस-कीपिंग के साथ इमारतें शामिल होंगी, जैसा कि अनुसूची 2 में अधिक व्यापक रूप से निर्धारित किया गया है;

"वित्तीय समापन" (Financial Close) का अर्थ वह तिथि है जिस पर वित्तपोषण समझौते (जहाँ तक वे चरण 1 के विकास और निर्माण से संबंधित हैं) को उसके सभी पक्षों द्वारा निष्पादित और वितरित किया गया है और इसके तहत पूर्ववर्ती शर्तें ऐसी सीमा तक पूरी कर ली गई हैं जो जीजीआईएएल को धन की निकासी के लिए आवश्यक नोटिस देने के अधीन, जीजीआईएएल को आवश्यक फंडिंग तक तत्काल पहुँच की अनुमति देने के लिए आवश्यक हो सकती है;

"वित्तपोषण समझौते" (Financing Agreements) का अर्थ है (i) जीजीआईएएल को ऋण उपलब्ध कराने के लिए ऋणदाताओं के साथ जीजीआईएएल के समझौते और (ii) उपर्युक्त (i) में संदर्भित

समझौतों के अनुसार आवश्यक ऋणदाताओं के पक्ष में सुरक्षा दस्तावेज, प्रत्यक्ष समझौते और अन्य सहायक उपक्रम;

"फोर्स मेजर" (अप्रत्याशित घटनाएं) का अर्थ वह अर्थ होगा जो अनुसूची 4 में निर्धारित है;

"भविष्य में शुरू होने की तिथि" (Future Commissioning Date) का अर्थ वह तिथि है जिस पर खंड 4.1 के अनुसार जीजीआईएएल द्वारा एएआई को अधिसूचित किसी भी भविष्य की कमीशनिंग अवधि की शुरुआत होगी;

"भविष्य की शुरु होने अवधि" (Future Commissioning Period) का अर्थ किसी भी विस्तार के लिए आवश्यक किसी भी अतिरिक्त एएआई उपकरण के संबंध में पक्षों के बीच सहमति के अनुसार कोई भी भविष्य की कमीशनिंग अवधि है;

"भारत सरकार" का अर्थ भारत सरकार और नागर विमानन मंत्रालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण और निर्देशन के तहत इसकी कोई भी विधिवत अधिकृत एजेंसी, प्राधिकरण (किसी भी नियामक प्राधिकरण सहित), विभाग, निरीक्षणालय, मंत्रालय या सांविधिक व्यक्ति (स्वायत्त हो या नहीं) है;

"जीजीआईएएल कमीशनिंग दायित्व" (GGIAL Commissioning Obligations) का अर्थ खंड 4.2 के अनुसार जीजीआईएएल द्वारा पूरा किए जाने वाले वे दायित्व हैं;

"जीजीआईएएल उपकरण" (GGIAL Equipment) का अर्थ अनुसूची 1 के भाग 1 में दी गई वस्तुएं हैं;

"जीजीआईएएल दायित्व" (GGIAL Obligations) का अर्थ जीजीआईएएल प्री-कमीशनिंग दायित्व, जीजीआईएएल कमीशनिंग दायित्व और जीजीआईएएल ऑपरेटिव दायित्व हैं;

"जीजीआईएएल ऑपरेटिव दायित्व" (GGIAL Operative Obligations) का अर्थ खंड 5.3 के अनुसार जीजीआईएएल द्वारा पूरा किए जाने वाले वे दायित्व हैं;

"जीजीआईएएल प्री-कमीशनिंग दायित्व" (GGIAL Pre-Commissioning Obligations) का अर्थ खंड 3.1 के अनुसार जीजीआईएएल द्वारा पूरा किए जाने वाले वे दायित्व हैं;

"प्रारंभिक कमीशनिंग तिथि" (Initial Commissioning Date) का अर्थ वह तिथि है जिस पर प्रारंभिक कमीशनिंग अवधि शुरू होगी, जैसा कि खंड 4.1 के अनुसार जीजीआईएएल द्वारा एएआई को अधिसूचित किया गया है;

"प्रारंभिक कमीशनिंग अवधि" (Initial Commissioning Period) का अर्थ प्रारंभिक कमीशनिंग तिथि से शुरू होने वाली तीन (3) महीने की अवधि है;

"इकाओ" का अर्थ शिकागो कन्वेंशन द्वारा गठित अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन और उसका कोई भी उत्तराधिकारी है;

"घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया" (Incident Reporting Procedure) का अर्थ घटनाओं और आपात स्थितियों की रिपोर्टिंग के लिए एएआई और जीजीआईएएल द्वारा समय-समय पर सहमत होने वाली प्रक्रिया है;

"ऋणदाता" (Lenders) का अर्थ वे बैंक, वित्तीय संस्थान, NBFC और समान निकाय हैं जिन्हें चरण 1 और/या किसी विस्तार के वित्तपोषण (जिसमें उद्देश्यों के लिए कोई पुनर्वित्त शामिल होगा) के लिए वित्तपोषण समझौतों के तहत ऋण बकाया है;

"नुकसान" (Loss) का अर्थ कोई भी नुकसान, देयताएं, लागत, व्यय, दावे, कार्यवाही, कार्रवाई, मांगें, दायित्व, कमियां, मुकदमे, निर्णय, निषेधाज्ञा, पंचाट या क्षति है;

"मास्टर प्लान" का अर्थ रियायत समझौतों के साथ संलग्न जीजीआईएएल द्वारा तैयार किया गया मास्टर प्लान है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है;

"कार्यालय आवास" का अर्थ इस समझौते की अनुसूची 2 में निर्धारित आवास और कार पार्किंग स्थान है;

"ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग प्रक्रिया" (Operating Reporting Procedure) का अर्थ एएआई सेवाओं और जीजीआईएएल दायित्वों से संबंधित प्रावधान के दिन-प्रतिदिन के निर्वहन के बारे में जानकारी के संचार के लिए एएआई और जीजीआईएएल द्वारा समय-समय पर सहमत होने वाली प्रक्रिया है;

"कर्मी" (Personnel) का अर्थ एएआई सेवाओं और सीएनएस/एटीएम सेवाओं का प्रदर्शन करने वाले एएआई कर्मी हैं।

यहाँ प्रदान की गई परिभाषाओं और व्याख्या से संबंधित खंड का हिंदी अनुवाद और विवरण दिया गया है:

> **"चरण 1" (Phase 1):** का अर्थ रियायत समझौते में प्रदान किए गए अनुसार हवाईअड्डे के चरण 1 का डिजाइन, वित्तपोषण, निर्माण, पूर्णता और कमीशनिंग है।
>
> **"परियोजना" (Project):** का अर्थ हवाईअड्डे का डिजाइन, वित्तपोषण, निर्माण, पूर्णता, कमीशनिंग, रखरखाव, संचालन, प्रबंधन और विकास है।
>
> **"RESA" या "रनवे एंड सेफ्टी एरिया" (Runway End Safety Area):** का अर्थ विस्तारित रनवे सेंटर लाइन के बारे में सममित और पट्टी के अंत के आसन्न एक क्षेत्र है जिसका मुख्य उद्देश्य रनवे के नीचे या ऊपर जाने वाले हवाई जहाज को नुकसान के जोखिम को कम करना है।
>
> **"रूट नेविगेशन फैसिलिटीज चार्जेस" (Route Navigation Facilities Charges):** का अर्थ एएआई के वर्तमान आदेशों के अनुसार रूट नेविगेशन सुविधाओं के प्रावधान के लिए एएआई द्वारा एयरलाइंस और/या विमान ऑपरेटरों से ली जाने वाली राशि है।
>
> **"सुरक्षा" (Security):** में कोई भी बंधक, गिरवी, ग्रहणाधिकार (lien), सुरक्षा हित या अन्य प्रभार या भार और कोई अन्य समझौता या व्यवस्था शामिल है जिसका आर्थिक प्रभाव काफी हद तक समान हो।
>
> **"सर्विस प्रोवाइडर राइट होल्डर्स" (Service Provider Right Holders):** का वह अर्थ होगा जो इसे रियायत समझौते में दिया गया है।

"साइट" (Site): का अर्थ वह भूमि है जिसमें सीए के अनुसार जीजीआईएएल के पास लाइसेंस धारक के अधिकार और हित हैं या होंगे, जिसका माप लगभग 2,093 एकड़ है, जिस पर हवाईअड्डे का निर्माण किया जाना है।

"लक्ष्य कमीशनिंग तिथि" (Target Commissioning Date): का वह अर्थ होगा जो इसे खंड 4.1 में दिया गया है।

"टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग चार्जेस" (Terminal Navigation Landing Charges): का अर्थ सीएनएस/एटीएम सेवाओं के प्रावधान के लिए एएआई द्वारा एयरलाइंस से ली जाने वाली या ली जाने वाली राशि है।

1.2 व्याख्या

इस समझौते में सिवाय इसके कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

1.2.1. संसद के किसी अधिनियम या किसी खंड, या अनुसूची, या संसद के किसी अधिनियम के अन्य प्रावधान के किसी भी संदर्भ को, विशेष समय पर, तब बल में किसी भी संशोधन, विस्तार या पुनर्रूपण के संदर्भ को और प्रासंगिक अधिनियम या प्रावधान के तहत या वैधता प्राप्त करने वाले तब बल में सभी नियमों, आदेशों, विनियमों के संदर्भ को शामिल करने के रूप में समझा जाएगा।

1.2.2. "निर्णय" (judgment) के संदर्भ में भारतीय क्षेत्राधिकार में कोई भी आदेश, निषेधाज्ञा, निर्धारण, डिक्री या अन्य न्यायिक या पंचाट ट्रिब्यूनल उपाय शामिल है जो अंतिम और बाध्यकारी है।

1.2.3. "कानून" (law) के संदर्भ में सामान्य कानून, भारत का संविधान और कोई भी डिक्री, निर्णय, कानून, आदेश, अध्यादेश, विनियमन, उप-कानून, क़ानून, अधिसूचना, परिपत्र, दिशानिर्देश, सांविधिक साधन या अन्य विधाई उपाय शामिल हैं, जो किसी भी क्षेत्राधिकार के मामले में हो (और "वैध" तथा "अवैध" तदनुसार समझा जाएगा)।

1.2.4. एक वचन के संदर्भ में बहुवचन के संदर्भ और इसके विपरीत शामिल होंगे;

1.2.5. "दिन" (day) के संदर्भ का अर्थ एक कैलेंडर दिन है;

1.2.6. किसी विशेष खंड, पैराग्राफ, उप-पैराग्राफ या अनुसूची के संदर्भ, सिवाय इसके कि जहाँ संदर्भ अन्यथा अपेक्षा करे, इस समझौते में या उसके उस खंड, पैराग्राफ, उप-पैराग्राफ या अनुसूची के संदर्भ होंगे;

1.2.7. शीर्षक सुविधा के लिए डाले गए हैं और निर्माण के प्रयोजनों के लिए इन्हें अनदेखा किया जाना चाहिए;

1.2.8. इस समझौते में कहीं और उपयोग किए जाने पर, यहाँ की अनुसूचियों में परिभाषित शब्दों के वही अर्थ होंगे जो अनुसूचियों में दिए गए हैं;

1.2.9. इस समझौते की अनुसूचियाँ इस समझौते का हिस्सा बनती हैं और पूरी ताकत और प्रभाव में होंगी जैसे कि वे इस समझौते के मुख्य भाग में स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई हों;

1.2.10. किसी भी समझौते, डीड, साधन, लाइसेंस कोड या किसी अन्य विवरण के अन्य दस्तावेज के किसी भी संदर्भ को, विशेष समय पर, उस समझौते, डीड, साधन, लाइसेंस कोड या अन्य दस्तावेज के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा, जैसा कि उसमें संशोधन, परिवर्तन, अनुपूरक, संशोधन, निलंबन या नवीनीकरण किया गया हो;

1.2.11. "लिखित" (written) और "लिखित रूप में" (in writing) शब्दों में फैक्स ट्रांसमिशन और मूर्त तथा स्थायी रूप से दृश्यमान रूप में कार्यों को पुनरुत्पादित करने का कोई भी साधन शामिल है;

1.2.12. "शामिल" (include) और "शामिल करते हुए" (including) शब्दों को बिना किसी सीमा के समझा जाना चाहिए;

1.2.13. "निर्माण" (construction) के संदर्भ में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षा न करे, डिजाइन, खरीद, वितरण, स्थापना, परीक्षण, पूर्णता, कमीशनिंग और निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ी अन्य गतिविधियां शामिल हैं;

1.2.14. किसी पक्ष के संदर्भ में उसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती (permitted assigns) शामिल होंगे;

1.2.15. खंडों के भीतर की परिभाषाओं का वही अर्थ होता है जो उन्हें दिया गया है; और

1.2.16. "व्यक्ति" (person) के संदर्भ में (संदर्भ के अनुसार) कोई भी प्राकृतिक और/या न्यायिक इकाई (भारत सरकार या गोवा सरकार सहित) शामिल है।

2. पूर्ववर्ती शर्तें

2.1 सेवाओं के लिए पूर्ववर्ती शर्तें

इस समझौते के प्रावधान (खंड 1, 2, 10 से 12 और 14 से 19 में शामिल प्रावधानों के अलावा जो इस समझौते की तारीख से पक्षों पर बाध्यकारी होंगे) उस तारीख से प्रभावी होंगे और पक्षों पर बाध्यकारी हो जाएंगे जिस तारीख को निम्नलिखित पूर्ववर्ती शर्तें पूरी तरह से संतुष्ट हो चुकी होंगी:

i. एएआई द्वारा जीजीआईएएल से अप्रतिसंहरणीय नोटिस की प्राप्ति कि रियायत समझौते को निष्पादित कर दिया जाएगा और सभी पक्षों द्वारा वितरित किया जाएगा और उसमें निर्धारित सभी शर्तें पूरी कर ली जाएंगी या माफ कर दी जाएंगी जो नोटिस अंतिम और पार्टियों पर बाध्यकारी होगा;

ii. एएआई द्वारा जीजीआईएएल से इस आशय का अप्रत्याशित (अखंडनीय) नोटिस प्राप्त होना कि वित्तीय क्लोजर (Financial Close) हो चुका है, जो नोटिस पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा, बशर्ते कि ऐसी किसी भी पूर्व-शर्त को एएआई और जीजीआईएएल के बीच लिखित समझौते द्वारा माफ किया जा सकता है;

नोट: जीजीआएएल इसके द्वारा पुष्टि करता है कि वित्तीय क्लोजर 7 जुलाई, 2017 को हो चुका है।

iii. एएआई द्वारा जीजीआईएएल से इस आशय का अप्रत्याशित नोटिस प्राप्त होना कि ईपीसी अनुबंधों (EPC Contracts) को उसमें शामिल सभी पक्षों द्वारा निष्पादित और वितरित कर दिया गया है और उसमें निर्धारित सभी पूर्व-शर्तें (इस समझौते से संबंधित किसी भी पूर्व-शर्त को छोड़कर) पूरी कर ली गई हैं या माफ कर दी गई हैं, जो नोटिस पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा;

नोट: जीजीआईएएल इसके द्वारा पुष्टि करता है कि ईपीसी अनुबंध 22 फरवरी, 2018 को निष्पादित किया गया है।

2.2 पूर्व-शर्तों की पूर्ति न होना

2.2.1 पूर्व-शर्तें पूरी न होने पर अनुबंध समाप्त करना

यदि खंड 2.1 में निर्धारित पूर्व-शर्तें इस समझौते की तारीख से बारह (12) महीने की अवधि समाप्त होने तक पूरी नहीं होती हैं या माफ नहीं की जाती हैं, तो जीजीआईएएल और एएआई को खंड 2.2.2 के अधीन रहते हुए, दूसरे पक्ष को इक्कीस (21) दिन का लिखित नोटिस देकर इस समझौते को समाप्त करने का अधिकार होगा। नोटिस की अवधि समाप्त होने पर यह समझौता समाप्त हो जाएगा बशर्ते कि यदि नोटिस अवधि के दौरान पूर्व-शर्तें पूरी हो जाती हैं या माफ कर दी जाती हैं, तो यह समझौता क्लॉज़ 2.1 के अनुसार प्रभावी हो जाएगा।

नोट: पैरा 2.1 (i), (ii) और (iii) में निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति हो जाने के कारण उपर्युक्त शर्त लागू नहीं होती है।

2.2.2 पूर्व-शर्तें पूरी करने के लिए समय-सीमा बढ़ाना

क्लॉज़ 2.2.1 में निर्दिष्ट तिथि से पहले किसी भी समय, दोनों पक्ष आपसी सहमति से पूर्व-शर्तों को पूरा करने या माफ करने की तिथि को आगे तीन (3) महीने के लिए बढ़ाने का अधिकार रखते हैं।

नोट: पैरा 2.1 (i), (ii) और (iii) में निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति हो जाने के कारण उपर्युक्त शर्त लागू नहीं होती है।

2.3 प्रभावी तिथि

- यह समझौता दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से प्रभावी होगा (जिसे "**प्रभावी तिथि**" कहा जाएगा)।

3. सेवाओं का दायरा - पूर्व-कमीशनिंग चरण (Scope of Services - Pre-Commissioning Phase)

3.1 जीजीआईएएल की पूर्व-कमीशनिंग की जिम्मेदारियां (GGIAL Pre-Commissioning Obligations)

i. वित्तीय क्लोजर (Financial Close) के पश्चात, जीजीआईएएल अपने स्वयं के खर्च पर, प्रारंभिक कमीशनिंग तिथि से कम से कम 180 दिन पहले सुविधा (Facility) का डिज़ाइन और निर्माण करेगा, सिवाय एयर कंडीशनिंग के प्रावधान के, जिसे प्रारंभिक कमीशनिंग तिथि से 90 दिन पहले उपलब्ध कराया जाएगा।

ii. जीजीआईएएल साइट पर, या यदि हवाईअड्डा अप्रोच (approach) के संबंध में आवश्यक हो तो साइट से बाहर, अपने स्वयं के खर्च पर जीजीआईएएल उपकरण डिज़ाइन, अधिग्रहण और स्थापित करेगा, जो जीजीआईएएल के स्वामित्व में होंगे। एएआई, जीजीआईएएल उपकरणों के परीक्षण और/या कमीशनिंग के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जो जीजीआईएएल की जिम्मेदारी होगी। यदि जीजीआईएएल द्वारा आवश्यक हो, तो वह अपने उपकरणों को कैलिब्रेट करने में सक्षम बनाने के लिए एएआई के साथ कैलिब्रेशन उड़ानों का समन्वय करेगा।

iii. सुविधा को संचालित करने के लिए आवश्यक पानी, बिजली और एयर-कंडिसनिंग, अप्रोच रोड, फायर अलार्म, ओएफसी (ओएफसी), डेटा, टेलीफोन कनेक्टिविटी और अन्य सेवा माध्यमों की व्यवस्था अपने स्वयं के खर्च पर स्थापित करेगा।

iv. यह सुनिश्चित करेगा कि जीजीआईएएल उपकरण प्रारंभिक कमीशनिंग तिथि तक या हवाईअड्डे के किसी भी विस्तार के लिए आवश्यक किसी अन्य अतिरिक्त जीजीआईएएल उपकरण के मामले में भविष्य की कमीशनिंग तिथि तक अपने स्वयं के खर्च पर स्थापित, परीक्षण और कमीशन किए जाएं।

v. एएआई उपकरणों और जीजीआईएएल उपकरणों के बीच के इंटरफेस (interfaces) की एएआई को पहचान कराएगा।

vi. एएआई को हवाईअड्डे या उसके कर्मियों, वाहनों और एजेंटों तक ऐसी पहुंच प्रदान करेगा जिसकी एएआई को पूर्व-कमीशनिंग सेवाओं के प्रदर्शन के लिए उचित रूप से आवश्यकता हो।

vii. रनवे (रनवे) को डिज़ाइन करने और विभिन्न सीएनएस/एटीएम सुविधाओं के स्थान की योजना बनाने से पहले, जीजीआईएएल, भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India) या उसके द्वारा अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निकटतम भौगोलिक केंद्र से 30 एनएमएस (NMS) के क्षेत्र का सर्वेक्षण कराएगा। उपर्युक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट सीएनएस/एटीएम सुविधाओं की स्थिति को अंतिम रूप देने और विभिन्न संरचनाओं आदि के लिए एनओसी (NOC) जारी करने हेतु एएआई की सहमति प्राप्त करते समय एएआई को प्रस्तुत की जाएगी।

3.2 एएआई की पूर्व-कमीशनिंग सेवाएं (AAI Pre-Commissioning Services)

वित्तीय समापन के पश्चात एएआई:

i. सुविधा में, साइट पर, या यदि हवाईअड्डे के दृष्टिकोण के संबंध में आवश्यक हो तो साइट से बाहर, एएआई उपकरण डिजाइन, प्राप्त और स्थापित करेगा, जो एएआई के स्वामित्व में होंगे।

ii. यह सुनिश्चित करेगा कि एएआई उपकरण प्रारंभिक कमीशनिंग तिथि या भविष्य की कमीशनिंग तिथि तक स्थापित, परीक्षण और कमीशन किए जाएं। यदि जीजीआईएएल, एएआई को इकाओ एनेक्सी और दस्तावेजों में निर्धारित आवश्यकताओं से अधिक एएआई उपकरणों को अपग्रेड करने के लिए कहता है, तो ऐसे उपकरणों के उन्नयन (up-gradation) की लागत जीजीआईएएल द्वारा वहन की जाएगी।

iii. एएआई और जीजीआईएएल के उपकरणों और इंटरफेस के बीच समन्वय करेगा और संगतता (compatibility) सुनिश्चित करेगा। किसी भी पक्ष द्वारा इंटरफेस की आवश्यकता के संबंध में, उक्त इंटरफेस की लागत जीजीआईएएल द्वारा वहन की जाएगी।

iv. जीजीआईएएल के खर्च पर, जीजीआईएएल द्वारा यदि आवश्यक हो, तो किसी भी जीजीआईएएल उपकरण के संबंध में ईपीसी (EPC) ठेकेदारों द्वारा आयोजित किसी भी बेंचमार्क परीक्षण में भाग लेगा।
v. जीजीआईएएल के खर्च पर नक्शे, चार्ट, सर्वेक्षण, आईएएल प्रक्रिया, साइट दौरे और संबंधित कार्य तैयार करेगा।

3.3 समन्वय (Co-ordination)

एएआई और जीजीआईएएल स्वीकार करते हैं कि इस समझौते के क्लॉज़ 3.1, 3.2, 3.4, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 और 5.3 के तहत अपने दायित्वों का पालन करने के लिए, प्रत्येक पक्ष को दूसरे के साथ समन्वय करने की आवश्यकता होगी:

i. वित्तीय समापन के बाद के पहले महीने से, पक्ष एक संयुक्त समन्वय समिति - सीएनएस/एटीएम ("जेसीसी-सीएनएस/एटीएम") की स्थापना करेंगे जो जीजीआईएएल में त्रैमासिक आधार पर या जेसीसी-सीएनएस/एटीएम के किसी भी सदस्य द्वारा बुलाए जाने पर अधिक नियमित आधार पर बैठक करेगी।
ii. जेसीसी की अध्यक्षता जीजीआईएएल द्वारा की जाएगी।
iii. जेसीसी-सीएनएस/एटीएम में चार सदस्य होंगे, जिसमें प्रत्येक पक्ष दो सदस्यों को नामित और नियुक्त करेगा। पक्षों को जेसीसी-सीएनएस/एटीएम के समक्ष रखे जाने वाले सभी मामलों के संबंध में संबंधित पक्ष का प्रतिनिधित्व करने और उन्हें बाध्य करने के लिए जेसीसी-सीएनएस/एटीएम के सदस्यों को पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजित माना जाएगा। समिति के सदस्य अपनी ओर से बैठक में शामिल होने के लिए सदस्यों के वैकल्पिक नामों को नामित और प्रस्तावित कर सकते हैं।
iv. यदि जेसीसी-सीएनएस/एटीएम किसी मामले पर ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ है जो पक्षों के लिए संतोषजनक हो, तो कोई भी पक्ष, पहली बार में, ऐसे मामले को जीजीआईएएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और एएआई के अध्यक्ष के पास भेजने का हकदार होगा। यदि उपर्युक्त वरिष्ठ कार्यकारी उस तिथि से 15 व्यावसायिक दिनों के भीतर मामले को हल करने में असमर्थ हैं जिस दिन ऐसा मामला उन्हें भेजा गया था, तो कोई भी पक्ष खंड 12 के तहत समाधान के लिए मामले को संदर्भित करने का हकदार होगा।

3.4 एएआई के सामान्य दायित्व (AAI's General Obligations)

इस समझौते के प्रदर्शन के संबंध में एएआई:

i. ईपीसी ठेकेदारों को समय पर, व्यवस्थित, तार्किक और सुसंगत तरीके से हवाईअड्डे के पूरा होने के साथ-साथ सुविधा और कार्यालय आवास को डिजाइन और पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए ऐसी जानकारी प्रदान करेगा और ईपीसी ठेकेदारों के साथ बातचीत करेगा।
ii. अपने कार्य स्थल पर सुरक्षा के लिए और अनुबंध के अनुसार कार्यों की देखरेख के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा।

iii. किसी भी कारण से होने वाली देरी के लिए सुविधा और/या कार्यालय आवास के संबंध में आवश्यक किसी भी पुन: प्रोग्रामिंग (reprogramming) में ईपीसी ठेकेदार के साथ सहयोग करेगा।

iv. सुविधा और/या कार्यालय आवास के संबंध में प्रगति में तेजी लाने के लिए ईपीसी ठेकेदार द्वारा अपनाए गए किसी भी त्वरित उपायों में ईपीसी ठेकेदार के साथ सहयोग करेगा।

v. सुविधा और/या कार्यालय आवास के डिजाइन या निष्पादन के कारण जीजीआईएएल द्वारा आदेश दिए जाने पर, या यदि कोई असुरक्षित स्थिति मौजूद है या होने की संभावना है, या यदि साइट पर स्थितियों द्वारा आवश्यक है, या यदि यह भारत सरकार की किसी भी कार्रवाई के कारण आवश्यक है, तो सुविधा और/या कार्यालय आवास पर काम को निलंबित कर देगा।

4. सेवाओं का दायरा - कमीशनिंग चरण

4.1 प्रारंभिक शुरू होने की अवधि और भविष्य की शुरु होने की अवधि का प्रारंभ

4.1.1. जीजीआईएएल, जितनी जल्दी हो सके और प्रभावी तिथि से तीन सौ पैंसठ (365) दिन बाद की तारीख तक एएआई को उस तारीख की सूचना देगा जिस पर जीजीआईएएल को आशंका है कि प्रारंभिक शुरु होने की अवधि शुरू होगी ("लक्ष्य कमीशनिंग तिथि")।

4.1.2. जीजीआईएएल इसके बाद एएआई को उपर्युक्त क्लॉज़ 4.1.1 के अनुसार जीजीआईएएल द्वारा एएआई को सूचित लक्ष्य कमीशनिंग तिथि से कम से कम एक सौ अस्सी (180) दिन पहले उस तारीख की सूचना देगा जिस पर जीजीआईएएल को तब प्रारंभिक कमीशनिंग तिथि होने की आशंका है और लक्ष्य कमीशनिंग तिथि को तदनुसार संशोधित किया जाएगा।

4.1.3. जीजीआईएएल किसी भी भविष्य की कमीशनिंग तिथि के होने की संभावना वाली तारीख से कम से कम तीन सौ पैंसठ दिन पहले एएआई को सूचित करेगा।

4.2 जीजीआईएएल शुरु होने के उत्तरदायित्व

4.2.1. प्रारंभिक कमीशनिंग तिथि या भविष्य की कमीशनिंग तिथि से कम से कम तीस (30) दिन पहले, जैसा भी मामला हो, जीजीआईएएल एएआई को लिखित रूप में पुष्टि करेगा कि:

i. चरण 1 के संबंध में रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और अप्रोच का निर्माण प्रारंभिक शुरु होने की अवधि द्वारा प्रासंगिक डीजीसीए नाविअ /इकाओ एनेक्सी और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निहित प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, जो हवाईअड्डे पर प्रस्तावित विमान संचालन के लिए उपयुक्त होगा और हवाईअड्डा खुलने की तारीख तक विमान संचालन के लिए उपलब्ध होगा।

ii. चरण 1 के लिए रनवे के स्ट्रिप्स, शोल्डर, स्टॉप वे और रेसा तथा टैक्सीवे के लिए स्ट्रिप्स और शोल्डर का निर्माण प्रारंभिक कमीशनिंग अवधि द्वारा किया जाएगा और उसके बाद प्रस्तावित विमान संचालन के लिए उपयुक्त प्रासंगिक डीजीसीए नाविअ /इकाओ एनेक्सी और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार बनाए रखा जाएगा।

iii. प्रारंभिक कमीशनिंग अवधि से हवाईअड्डे की बाधा सीमा सतहों (obstacle limitation surfaces) और दृष्टिकोण और टेक-ऑफ क्षेत्र को बाधाओं से मुक्त रखा जाएगा या

बाधाओं को प्रासंगिक डीजीसीए नाविअ /इकाओ एनेक्सी और दस्तावेजों में निहित प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार अनुमेय सीमा तक सीमित रखा जाएगा (जैसे नागर विमानन मंत्रालय वेबसाइट में भारत सरकार गजट जीएसआर 751 में निहित है जिसके लिए संरचनाओं की एनओसी प्रदान करने के लिए एएआई से संपर्क किया जाएगा)।

iv. प्रारंभिक कमीशनिंग अवधि से प्रासंगिक डीजीसीए नाविअ /इकाओ एनेक्सी एनेक्सी और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निहित प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार बचाव और अग्निशामक सेवाओं की उचित श्रेणी उपलब्ध कराई जाएगी।

v. प्रारंभिक कमीशनिंग अवधि से जीजीआईएएल, किसी भी आकस्मिक स्थिति में सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करने के लिए एक वैकल्पिक सुविधा स्थापित करने हेतु एएआई कर्मियों को सक्षम बनाने के लिए फायर वॉच टॉवर में पर्याप्त जगह प्रदान करेगा।

vi. हवाईअड्डा शुरु होने की तारीख से परिचालन क्षेत्र के अंदर और आसपास पक्षी/जानवर के उपद्रव को रोकने के लिए हवाईअड्डे पर उचित व्यवस्था की जाएगी।

- प्रारंभिक कमीशनिंग अवधि या भविष्य की कमीशनिंग अवधि के दौरान, जैसा भी मामला हो, जीजीआईएएल:

i. शुरू होने की प्रारंभिक अवधि या भविष्य की शुरू होने की अवधि की शुरुआत के चौदह (14) दिनों के भीतर, जैसा भी मामला हो, एएआई को लिखित रूप में पुष्टि करेगा कि जीजीआईएएल उपकरण की आपूर्ति और स्थापना कर दी गई है। जीजीआईएएल एएआई को लिखित में यह भी पुष्टि करेगा कि हवाईअड्डा खुलने की तारीख तक चरण 1 के लिए आवश्यक ऐसे उपकरणों का परीक्षण और संचालन के लिए अनुमोदन कर दिया गया है।

ii. एएआई को हवाईअड्डे तक ऐसी पहुंच प्रदान करेगा जिसकी उसके कर्मियों, वाहनों और एजेंटों को एएआई कमीशनिंग सेवाओं के प्रदर्शन के लिए उचित आवश्यकता हो।

iii. एएआई को विद्युत शक्ति और पानी की दोहरी आपूर्ति प्रदान करेगा जो इसे एएआई कमीशनिंग सेवाओं को निष्पादित करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त हो।

iv. इस सीमा तक कि एएआई यह निर्धारित करता है कि हवाईअड्डे के विस्तार के परिणामस्वरूप, हवाईअड्डे पर विद्युत शक्ति की अतिरिक्त स्टैंडबाय आपूर्ति की आवश्यकता है, एएआई अपनी अतिरिक्त आवश्यकताओं के बारे में जीजीआईएएल को सूचित करेगा और पक्ष एएआई द्वारा आवश्यक अतिरिक्त स्टैंडबाय आपूर्ति के संबंध में चर्चा करने और सहमति पर पहुंचने के लिए मिलेंगे।

v. एएआई और/या उसके कर्मियों को ऐसी जानकारी प्रदान करेगा जो उन्हें एएआई कमीशनिंग सेवाओं के प्रदर्शन के लिए उचित रूप से आवश्यक हो।

vi. एएआई को नेविगेशनलडाइड्स/रडार के लिए एएआई कार्यालय, इमारतें प्रदान करेगा ताकि एएआई अपने दायित्वों को पूरा कर सके।

vii. एटीसी, सीओएम केंद्र और उपकरण कक्ष में एसटीडी सुविधा और इंटरनेट के साथ सीधे टेलीफोन प्रदान करेगा।

4.3 एएआई की शुरु होने वाली सेवाएं

4.3.1. प्रारंभिक कमीशनिंग अवधि और किसी भी भविष्य की कमीशनिंग अवधि के दौरान, और निर्धारित हवाईअड्डा संचालन परीक्षणों के दौरान, एएआई:

i. खंड 4.2.1 के अनुसार जीजीआईएएल से प्राप्त नोटिस की प्राप्ति के चौदह (14) दिनों के भीतर, जीजीआईएएल को लिखित रूप में पुष्टि करेगा कि सभी एएआई उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना कर दी गई है और एएआई उपकरण ईपीसी ठेकेदारों द्वारा प्रदान किए गए उपकरणों के साथ संगत (compatible) हैं।

ii. सभी एएआई उपकरणों का परीक्षण और कमीशन करेगा ताकि यह पूरी तरह से चालू हो सके।

iii. एएआई द्वारा संचालित किसी भी प्रासंगिक वायु नेविगेशन और मौसम संबंधी उपकरण और प्रणालियों के साथ और आवश्यक सीमा तक जीजीआईएएल उपकरण के साथ एएआई उपकरण को एकीकृत करने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाएगा। जीजीआईएएल उपकरण के साथ ऐसे एकीकरण की कोई भी लागत जीजीआईएएल द्वारा उठाई जाएगी।

iv. एएआई उपकरणों को कमीशन करने के लिए आवश्यक ऐसी कैलिब्रेशन उड़ानें करेगा, और जहां तक व्यावहारिक हो, जीजीआईएएल को उसी समय जीजीआईएएल उपकरणों को कैलिब्रेट करने में सक्षम बनाने के लिए उन उड़ानों का जीजीआईएएल के साथ समन्वय करेगा। संदेह से बचने के लिए, एएआई जीजीआईएएल उपकरणों को कैलिब्रेट करने के लिए जीजीआईएएल द्वारा किए गए खर्च के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। जीजीआईएएल उपकरणों को कैलिब्रेट करने के लिए एएआई द्वारा किए गए खर्च की वसूली जीजीआईएएल से की जाएगी।

v. जहां उपयुक्त हो, हवाईअड्डे को कमीशन करने के लिए आवश्यक किसी भी जांच और प्रक्रियाओं के निष्पादन में जीजीआईएएल और डीजीसीए की सहायता करेगा।

vi. डीजीसीए नाविअ/इकाओ एनेक्सी और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार हवाईअड्डे पर और हवाईअड्डे के आसपास के हवाई क्षेत्र में विमानों के सुरक्षित, त्वरित और व्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक एएआई सेवाओं से संबंधित सभी ऐसी प्रक्रियाओं, मैनुअल और चार्ट को तैयार और प्रकाशित करेगा।

vii. डीजीसीए नाविअ/इकाओ एनेक्सी और दस्तावेजों के अनुसार और रक्षा की समग्र हवाई क्षेत्र प्रबंधन आवश्यकताओं और उड़ान सूचना क्षेत्र (Flight Information Region) के अनुरूप जिसमें यह संचालित होता है, जीजीआईएएल के साथ संचालन रिपोर्टिंग प्रक्रिया और घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर आपसी सहमति बनाएगा।

viii. हवाईअड्डे पर किसी भी परीक्षण संचालन के दौरान उचित रूप से आवश्यक सहायता जीजीआईएएल और अन्य एजेंसियों को प्रदान करेगा।

4.3.2. एएआई, एएआई कमीशनिंग सेवाओं के प्रदर्शन के दौरान, यह सुनिश्चित करने के लिए कि एएआई उपकरण जीजीआईएएल उपकरण के साथ पर्याप्त रूप से एकीकृत हैं, ईपीसी ठेकेदारों को आवश्यक उचित सहायता प्रदान करेगा।

4.3.3. खंड 4.3.1 के अनुसार एएआई कमीशनिंग सेवाओं के प्रदर्शन के बाद (और प्रारंभिक कमीशनिंग अवधि या भविष्य की कमीशनिंग अवधि की समाप्ति से पहले, जैसा भी मामला हो), एएआई जीजीआईएएल (कंपनी) को लिखित रूप में पुष्टि करेगा कि एएआई उपकरण पूरी तरह से चालू हैं और जीजीआईएएल उपकरणों के साथ एकीकृत हैं और एएआई उपकरण ऐसे हैं कि एएआई प्रासंगिक डीजीसीए नाविअ/इकाओ एनेक्सी और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निर्धारित प्रासंगिक मानकों के अनुसार एएआई संचालन सेवाएं निष्पादित कर सकता है।

5. सेवाओं का दायरा - परिचालन चरण

5.1. एएआई परिचालन सेवाएं

एएआई, हवाईअड्डा खुलने की तारीख से और उसमें शामिल करते हुए, प्रासंगिक डीजीसीए नाविअ/इकाओ एनेक्सी और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निर्धारित प्रासंगिक मानकों के अनुसार मोपा हवाईअड्डे पर सेवाएं प्रदान करेगा।

5.1.1. त्रैमासिक लागत वसूली के आधार पर, अनुसूची 3 में परिभाषित सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करेगा; और एएआई तथा जीजीआईएएल के बीच आपसी समझौते के आधार पर बहु-शिफ्ट (multi-shift) संचालन को पूरा करने के लिए अपनी सीएनएस/एटीएम सेवाओं का विस्तार करेगा।

5.1.2. एएआई उपकरणों के आवधिक उड़ान कैलिब्रेशन (periodic flight calibration) और अन्य परीक्षणों को करने सहित एएआई उपकरणों का रखरखाव करेगा।

5.1.3. समय-समय पर (कम से कम न्यूनतम आवश्यकता के रूप में) प्रासंगिक डीजीसीए नाविअ/इकाओ एनेक्सी और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निहित प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करने के लिए एएआई उपकरणों को अपग्रेड करेगा।

5.1.4. हवाईअड्डे पर प्रासंगिक सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करने के लिए एएआई को सक्षम बनाने के लिए समय-समय पर आवश्यक ऐसे उपकरणों की खरीद करेगा।

5.1.5. हवाईअड्डे पर जीजीआईएएल द्वारा अपेक्षित संशोधन/विस्तार/उन्नयन के कारणों से जीजीआईएएल की परिचालन सुविधा के लिए जीजीआईएएल की लागत पर एएआई उपकरणों को स्थानांतरित करेगा, बशर्ते कि ऐसा स्थानांतरण जीजीआईएएल के दायित्वों और/या हवाईअड्डे के सुचारु संचालन को प्रभावित न करे।

5.1.6. वायु यातायात के सुरक्षित, त्वरित और व्यवस्थित प्रवाह के लिए आवश्यक ऐसी प्रक्रियाओं की समय-समय पर समीक्षा करेगा।

5.1.7. समय-समय पर सहमत हवाईअड्डा सामुदायिक नेटवर्क के माध्यम से सहमत प्रारूप, आवृत्ति और वितरण के तरीके में दैनिक, साप्ताहिक और मासिक गतिविधियों के लिए वायु यातायात गतिविधियों के सभी आंकड़े जीजीआईएएल को प्रदान करेगा; और

5.1.8 ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग प्रक्रिया और इंसिडेंट रिपोर्टिंग प्रक्रिया (सीएनएस/एटीएम सेवा के टूटने सहित) के तहत आवश्यक ऐसी जानकारी प्रदान करेगा और उसका रिकॉर्ड रखेगा तथा जीजीआईएएल और एयरमेन (Airmen) को नोटिस जारी करेगा।

5.1.9 हवाईअड्डे की ओर आने वाले यातायात को सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करने के लिए, यदि आवश्यक हो, तो जीजीआईएएल की लागत पर ऐसे एन-रूट (en-route) उपकरण प्रदान करेगा।

5.2 एटीएम-एन-रूट और अन्य सेवाएं (यदि आवश्यक हो)

यदि एएआई को आवश्यकता है, तो वह जीजीआईएएल की पूर्व सहमति प्राप्त करने के अधीन, जिसे अनुचित रूप से नहीं रोका जाएगा, पोर्ट पर या साइट पर एन-रूट एयर नेविगेशन सेवाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक कोई भी उपकरण या सुविधाएं स्थापित कर सकता है। हवाईअड्डे पर ऐसे उपकरण या अन्य सुविधाएं स्थापित करने में, एएआई हवाईअड्डे के सामान्य संचालन में किसी भी तरह की बाधा से बचने के उचित उपाय करेगा। संदेह से बचने के लिए, एएआई को हवाईअड्डे के सामान्य संचालन में किसी भी ऐसी बाधा के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा जो सीधे तौर पर जीजीआईएएल के जिम्मेदार कार्यों के कारण उत्पन्न हुई हो। एएआई यह सुनिश्चित करेगा कि उनके द्वारा निर्मित, संचालित या अनुरक्षित सभी इमारतें, कार्य या सुविधाएं (यदि कोई हों) समय-समय पर डिजाइन और वास्तुकला दिशानिर्देशों तथा मास्टर प्लान के अनुरूप हों।

5.3 जीजीआईएएल की परिचालन जिम्मेदारियां

हवाईअड्डा चालू होने की तारीख के पश्चात, जीजीआईएएल यह सुनिश्चित करेगा कि:

5.3.1 चरण 1 के लिए रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और अप्रोच का निर्माण किया गया है और उन्हें हवाईअड्डे पर प्रस्तावित विमान संचालन के लिए उपयुक्त प्रासंगिक डीजीसीए नाविअ/ इकाओ एनेक्सी और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुसार बनाए रखा जाएगा और वे विमान संचालन के लिए उपलब्ध हैं।

5.3.2 चरण 1 के लिए रनवे के स्ट्रिप्स, शोल्डर, स्टॉप वे और रेसा (RESA) तथा टैक्सीवे के स्ट्रिप्स और शोल्डर का निर्माण किया गया है और उन्हें प्रस्तावित विमान संचालन के लिए उपयुक्त प्रासंगिक इकाओ एनेक्सी और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुसार बनाए रखा जाएगा।

5.3.3 हवाईअड्डे की बाधा सीमा सतहों (obstacle limitation surfaces) और अप्रोच तथा टेक-ऑफ क्षेत्र को बाधाओं से मुक्त रखा जाएगा या बाधाओं को प्रासंगिक डीजीसीए नाविअ/ इकाओ एनेक्सी और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमेय सीमा तक सीमित रखा जाएगा (जैसा कि नागर विमानन मंत्रालय वेबसाइट पर भारत सरकार गजट जीएसआर 751 में निहित है जिसके लिए संरचनाओं की एनओसी प्रदान करने के लिए एएआई से संपर्क किया जाएगा)।

5.3.4 विभिन्न सीएनएस/एटीएम सुविधाओं के लिए एएआई द्वारा पहचानी गई संवेदनशील और महत्वपूर्ण जगहों को किसी भी बाधा से मुक्त रखा जाएगा और इन क्षेत्रों में किसी भी ऐसी बाधा की अनुमति नहीं दी जाएगी जो इन उपकरणों/सुविधाओं के कामकाज में बाधा डाले और विमान संचालन की सुरक्षा को खतरे में डाले।

5.3.5 प्रासंगिक डीजीसीए नाविअ/इकाओ एनेक्सी और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुसार बचाव और अग्निशामक सेवाओं की उचित श्रेणी उपलब्ध कराई जाएगी और उन्हें बनाए रखा जाएगा।

5.3.6 परिचालन क्षेत्र के अंदर और आसपास पक्षी/जानवर के उपद्रव को रोकने के लिए हवाईअड्डे पर उचित व्यवस्था की गई है।

5.3.7 निम्नलिखित घटनाओं से निपटने के लिए हवाईअड्डे पर उपयुक्त आकस्मिक व्यवस्था (contingency arrangements) मौजूद हैं:

i. रनवे से अक्षम (disabled) विमान को हटाना;
ii. विमान या हवाईअड्डे को बम से उड़ाने की धमकी;
iii. हवाईअड्डे के आसपास विमान दुर्घटनाएं;
iv. गैर-अनुसूचित विमान को हवाईअड्डे पर उतरने के लिए मजबूर होना;
v. हवाईअड्डे पर आग लगना; प्राकृतिक आपदाएं;
vi. हवाईअड्डे और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक अशांति;
vii. हवाईअड्डे पर नागर विमानन में गैरकानूनी हस्तक्षेप से निपटने के लिए अपहरण विरोधी उपाय;
viii. हवाईअड्डे पर टर्मिनल भवन या किसी परिचालन क्षेत्र पर उग्रवादियों का हमला।

5.3.8 सुविधा को आपातकालीन सेवाओं (अग्नि शमन, चिकित्सा और पुलिस) और हवाई अड्डा प्रबंधक से जोड़ने के लिए आपातकालीन अलार्म घंटी स्थापित की गई हैं।

5.3.9 एएआई परिचालन सेवाओं के प्रदर्शन के लिए एएआई को इसके कर्मियों, वाहनों और एजेंटों के लिए हवाईअड्डे और सभी परिचालन क्षेत्रों तक ऐसी पहुंच प्रदान की जाएगी जिसकी उसे उचित रूप से आवश्यकता हो।

5.3.10 जीजीआईएएल की लागत पर एएआई को निम्नलिखित प्रदान किया जाएगा:

i. एएआई परिचालन सेवाओं को निष्पादित करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त विद्युत शक्ति, एयर कंडीशनिंग, अग्नि सुरक्षा और पानी की दोहरी आपूर्ति।
ii. एएआई संचालन सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त परिवहन सुविधा। प्रदान किए जाने वाले परिवहन की संख्या का निर्णय जीजीआईएएल और एएआई द्वारा आपसी सहमति से किया जाएगा।
iii. एटीसी, सीओएम केंद्र और ई/आर में ईपीएबीएक्स एक्सटेंशन, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट।

5.3.11 इस सीमा तक कि एएआई यह निर्धारित करता है कि हवाईअड्डे के विस्तार के परिणामस्वरूप, हवाईअड्डे पर विद्युत शक्ति की अतिरिक्त आपूर्ति की आवश्यकता है, एएआई अपनी अतिरिक्त आवश्यकताओं के बारे में जीजीआईएएल को सूचित करेगा और पक्ष एएआई द्वारा आवश्यक अतिरिक्त स्टैंडबाय आपूर्ति के संबंध में चर्चा करने और सहमति पर पहुंचने के लिए मिलेंगे।

5.3.12 एएआई और/या उसके कर्मियों को ऐसी जानकारी प्रदान करेगा जो उन्हें एएआई परिचालन सेवाओं के प्रदर्शन के लिए उचित रूप से आवश्यक हो।

5.3.13 एएआई सेवाओं के प्रावधान में हवाईअड्डे पर तैनात एएआई कर्मियों और एएआई के एजेंटों के लिए कार्यालय, नेविगेशनल सहायक उपकरण/रडार के लिए इमारतें हर समय उपलब्ध कराएगा।

5.3.14 अपने खर्च पर, प्रासंगिक डीजीसीए नाविअ/इकाओ एनेक्सी और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निर्धारित प्रासंगिक मानकों के अनुसार एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम, मुख्य और स्टैंडबाय बिजली आपूर्ति प्रणालियों का रखरखाव करेगा।

5.3.15 यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मचारी और एजेंट ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग प्रक्रिया के अनुसार, एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम में किसी भी विफलता या दोष तथा किसी भी जीजीआईएएल उपकरण की अनुपलब्धता की सूचना एएआई को दें, जैसे ही उन्हें ऐसी विफलता या दोष के बारे में पता चलता है।

5.3.16 आपातकाल को छोड़कर, जीजीआईएएल द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी बुनियादी ढांचे या सुविधाओं के किसी भी प्रस्तावित बंद होने या वापस लेने के बारे में एएआई को सूचित करेगा, जैसा कि पक्षों के बीच लिखित रूप में समय-समय पर संशोधित आपसी सहमति से ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग प्रक्रिया के अनुसार तय किया गया हो।

5.3.17 एएआई के निर्देश पर, रनवे या मूवमेंट क्षेत्रों से जीजीआईएएल की लागत पर किसी भी बाधा को हटाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मचारी और एजेंट, ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग प्रक्रिया या इंसिडेंट रिपोर्टिंग प्रक्रिया के अनुसार (जैसा भी मामला हो), किसी भी ऐसी बाधा के बारे में पता चलने पर एएआई को सूचित करें।

5.3.18 हवाईअड्डे पर किसी भी परिवर्तन या संशोधन के कारणों से जीजीआईएएल की लागत पर एएआई उपकरणों को स्थानांतरित करेगा।

5.3.19 किसी उन्नयन (upgrade) या विस्तार के मामले में, इकाओ की सिफारिशों से अधिक और जीजीआईएएल द्वारा अनुरोधित एएआई उपकरणों के लिए जीजीआईएएल कुल लागत का वहन करेगा।

5.3.20 विमान के ईटीए की प्राप्ति पर विमान के लिए पार्किंग बे और एयरो ब्रिज आवंटित करेगा और एएआई को सूचित करेगा और एएआई तदनुसार विमान का मार्गदर्शन करेगा। एप्रन नियंत्रण सेवाएं जीजीआईएएल द्वारा प्रदान की जाएंगी।

6. सुविधा का बदलाव

6.1 बदलाव के लिए अनुरोध

यदि एएआई प्रभावी तिथि के बाद सुविधा और/या कार्यालय आवास में किसी परिवर्तन या बदलाव की मांग करता है, तो वह जीजीआईएएल को ऐसे बदलाव के लिए अनुरोध किए जा रहे बदलाव और उसके कारणों का पूरा विवरण देते हुए लिखित रूप में सूचित करेगा।

6.2 जीजीआईएएल की लागत को प्रभावित न करने वाले बदलाव

यदि एएआई द्वारा खंड 6.1 के तहत अनुरोधित परिवर्तन या बदलाव चरण 1 को प्रभावित, विलंबित या बाधित नहीं करते हैं, तो जीजीआईएएल बदलाव को लागू करने के लिए आवश्यक उचित कदम उठाएगा।

7. राजस्व और प्रभार:

7.1. रुट नेविगेशन सुविधा प्रभार (आरएनएफसी)

''एएआई, प्रासंगिक सेवाओं के निष्पादन पर विचार करते हुए, एयरलाइनों से सीधे रूट नेविगेशन सुविधा शुल्क (आरएनएफसी) वसूलने का हकदार होगा और जीजीआईएएल ऐसे शुल्कों के संबंध में कोई देयता नहीं उठाएगा।

7.2. टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग प्रभार (टीएनएलसी)

एयरलाइनों द्वारा देय टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग शुल्क (टीएनएलसी) का भुगतान सीधे एयरलाइनों द्वारा एएआई को किया जाएगा और जीजीआईएएल को ऐसे शुल्कों के संबंध में कोई दायित्व नहीं होगा।

7.3 संग्रह

एएआई द्वारा रूट नेविगेशन सुविधा शुल्क या टर्मिनल नेविगेशनल लैंडिंग शुल्क का भुगतान करने के लिए किसी भी एयरलाइन द्वारा संग्रह करने में विफलता किसी भी तरह से एएआई को एएआई सेवाओं के प्रदर्शन से किसी भी तरह से क्षमा नहीं करेगी। एएआई को रूट नेविगेशन सुविधा शुल्क और/या टर्मिनल नेविगेशनल लैंडिंग शुल्क का भुगतान करने में किसी विशेष एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा बार-बार चूक करने की स्थिति में, एएआई के पास सभी अधिकार होंगे 'ऐसी एयरलाइनों को एएआई सेवाएं प्रदान नहीं करने के लिए) और यह इस समझौते में प्रदान की गई एएआई सेवाओं के प्रदर्शन में एएआई की ओर से चूक नहीं होगी।

7.4. सीएनएस-एटीएम सेवा प्रभार

पैरा 5.1 में उल्लिखित सीएनएस-एटीएम सेवाओं का प्रावधान लागत वसूली के आधार पर होगा। इसके अलावा, एएआई द्वारा एकत्र किए गए टीएनएलसी राजस्व को उस वर्ष के दौरान सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करने की वास्तविक लागत से घटाया जाएगा (लागत में प्रो-रेटेड पूंजी लागत और सभी 'कर्मचारी लागत सहित परिचालन लागत शामिल है)। इसके अलावा, जीजीआईएएल को एएटी के पक्ष में 6 महीने के सीएनएस/एटीएम सेवा शुल्क के बराबर बैंक गारंटी देनी होगी, जिसकी वैधता 3 वर्ष है, जिसे समय-समय पर अवधि की समाप्ति पर नवीनीकृत किया जाना है।

यदि कोई घाटा है, तो उस वर्ष के दौरान सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करने की वास्तविक लागत (लागत में प्रो-रेटेड पूंजी लागत और कर्मचारियों की लागत सहित सभी परिचालन लागत शामिल हैं) और पहले 3 वर्षों में टीएनएलसी राजस्व के बीच चौथे, पाँचवे, छटे, वर्षों से 12% ब्याज के साथ वसूल किया जाएगा। यदि छटवें वर्ष के अंत में कोई भी अनकवर्ड घाटा है, तो वही जीजीआईएएल द्वारा एएआई को भुगतान किया जाएगा।

सातवें वर्ष के बाद से लागत और टीएनएलसी राजस्व के बीच अधिशेष इस समझौते की वैधता तक एएआई को मिलेगा।

7.5. एएआई द्वारा देय किराया शुल्क

सुविधा प्रदान करने के लिए जीजीआईएएल को एएआई द्वारा कोई किराया शुल्क देय नहीं होगा और (अनुसूची 2 में निर्धारित कार्यालय आवास)।

8. सेवाओं के मानक और प्रदर्शन में असफलता

8.1 सेवाओं के मानक

8.1.1. एएआई हर समय प्रासंगिक आईसीएओ अनुबंधों और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निर्धारित प्रासंगिक मानकों के अनुसार एएआई सेवाएं प्रदान करेगा और एएआई सेवाओं या एएआई उपकरणों के प्रावधान के संबंध में सभी खर्चों को वहन करेगा।

8.1.2. एएएआई यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कार्मिक जीजीआईएएल की लागत पर किसी भी गुणवत्ता में भाग लेंगे यदि आवश्यक हो तो किसी भी समय जीजीआईएएलटी द्वारा शुरू किए गए सुधार उपायों और रियायत समझौते द्वारा आवश्यक सेवा स्तर मानकों को प्राप्त करने और बनाए रखने में जीजीआईएएल की सहायता करेगा।

8.2. अ-हस्तक्षेप

एएआई यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कार्मिक और एजेंट हवाई अड्डे के डिजाइन, निर्माण, कमीशनिंग, पूर्णता, विकास, वित्तपोषण और/या रखरखाव में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, हवाई अड्डे के उद्घाटन की तारीख के बाद, और 'सीएनएस/एटीएम सेवाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक के अलावा, हवाई अड्डे के संचालन में किसी भी तरह से हस्तक्षेप या हस्तक्षेप नहीं करते हैं।

8.3. क्षतिपूर्ति

8.3.1. प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष और उसके ठेकेदारों, प्रिंसिपल और एजेंटों को नुकसान, लागत, व्यय, देयता या नुकसान से क्षतिपूर्ति, बचाव और हानिरहित करेगा, जो पीड़ित पक्ष और उसके ठेकेदारों, प्रिंसिपल और एजेंटों पर तीसरे पक्ष के दावों के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, पूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी पक्ष के दायित्वों के प्रदर्शन (चाहे कार्य या चूक से) के कारण उत्पन्न होता है (अप्रत्याशित घटना को छूट दी गई है), जिसमें व्यक्तियों की मृत्यु के लिए चोट के लिए या संपत्ति के नुकसान के लिए नुकसान के लिए दावे शामिल हैं।

8.3.2. देयता

पक्षकार इस आशय का इरादा रखते हैं कि इस करार में निहित अधिकार, दायित्व और देनदारियां इस करार से उत्पन्न होने वाले या उसके संबंध में पक्षकारों के अधिकारों, दायित्वों और देनदारियों का एक संपूर्ण विवरण होंगी। तदनुसार, इस करार में स्पष्ट रूप से उल्लिखित उपचार और इसके अनुसरण में किए गए किसी भी दस्तावेज इस करार के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाले एक-दूसरे के प्रति देनदारियों के लिए पक्षकारों के एकमात्र और अनन्य उपचार होंगे, जिसमें इसके संबंध में कोई प्रतिनिधित्व, वारंटी या उपक्रम भी शामिल है, भले ही कानून या इक्विटी में अन्यथा कोई उपचार उपलब्ध हो।

9. अप्रत्याशित घटना

9.1 . अप्रत्याशित घटना

क्योंकि खंड 9 लागू होगा यदि किसी भी पक्ष ("प्रभावित पक्ष") द्वारा इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का प्रदर्शन, अनुसूची 4 में परिभाषित बल के कारण से पूर्ण या आंशिक रूप से रोका, बाधित या विलंबित होता है।

9.2. अप्रत्याशित घटना के परिणाम

9.2.1. प्रदर्शन दायित्व

प्रभावित पक्ष समझौते के तहत या उसके अनुसरण में किसी भी दायित्व का अनुपालन करने में किसी विफलता या अनुपालन में देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और उसे अपने दायित्वों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी, उस सीमा तक जहां ऐसी विफलता या देरी प्रत्यक्ष रूप से किसी भी फोर्स मेज्योर की घटना के कारण हुई है और विशेष रूप से, लेकिन बिना किसी सीमा के, ऐसे किसी भी दायित्व के निष्पादन के लिए अनुमत समय तदनुसार बढ़ाया जाएगा।

9.2.2. अधिसूचना

यदि प्रभावित पक्ष दावा करता है कि उसे किसी भी घटना के कारण इस समझौते के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने से रोका गया है, तो वह अन्य पक्षों को यथासंभव शीघ्र लिखित रूप में सूचित करेगा, जिसमें दावे और परिणामों का आधार बताया जाएगा।

9.2.3. शमन

प्रभावित पक्ष बल की घटना के प्रभाव को कम करने के लिए सभी उचित कदम उठाएगा

10. समाप्ति

10.1. जीजीआईएएल की समाप्ति की घटनाएं

एएआई जीजीआईएएल को समाप्ति का नोटिस जारी करने का हकदार होगा, यदि

i. जीजीआईएएल देय होने पर भुगतान करेगा और इस समझौते के तहत एएआई से चूक निर्दिष्ट करने और इसे सुधार करने की आवश्यकता वाले नोटिस की प्राप्ति के बीस (20) दिनों के भीतर देय कोई भी राशि देय है;
ii. जीजीआईएएल के परिसमापन, दिवालियापन या विघटन के लिए किया गया कोई आदेश या पारित किया गया कोई संकल्प, जो ऐसा करने में सक्षम नहीं है, उसके नब्बे (90) दिनों के भीतर, यदि ऐसा नहीं है, तो उसे छुट्टी नहीं दी गई है या, जैसा भी मामला हो, रद्द नहीं किया गया है,
iii. जीजीआईएएल इस समझौते में किसी दायित्व का पालन करने या अनुपालन करने में विफल रहता है (पैसे का भुगतान करने के दायित्व के अलावा) उस सीमा तक जो एएआई के अधिकारों और दायित्वों पर भौतिक और प्रतिकूल प्रभाव डालता है और यदि इसका निवारण किया जा सकता है, तो एएएल से नोटिस प्राप्त होने के बाद 7 दिनों की अवधि के लिए ऐसा विफलता जारी रहती है, जिसमें चूक निर्दिष्ट की जाती है और इसे ठीक करने की आवश्यकता होती है। बशर्ते कि एएआई समाप्ति की ऐसी सूचना जारी करने का हकदार नहीं होगा यदि ऊपर (i), (ii) और/या (iii) में निर्धारित घटनाएँ और/या परिस्थितियाँ अप्रत्याशित घटना का परिणाम और/या परिणाम हैं।
iv. रियायत समझौते के तहत इसे जीओआई द्वारा इस समझौते को समाप्त करने का निर्देश दिया गया है; 'और आगे प्रत्येक मामले में यह प्रावधान किया गया है कि जीजीआईएएल द्वारा समय पर उपचारात्मक कार्रवाई को भारत सरकार, गोवा सरकार या एएआई द्वारा रोका नहीं गया है।

10.2. एएआई समाप्ति की घटनाएं

सीजीजीआईएएल, सीसीएन/एटीएम सेवाओं को करने की अनुमति देने वाले उपयुक्त संशोधन के अधीन, सीसीएन/एटीएम सेवाओं को करने की अनुमति देने वाले लागू कानून के अधीन, सीसीएन/एटीएम सेवाओं को करने की अनुमति देने वाले उपयुक्त संशोधन के अधीन, सीसीएन/एटीएम सेवाओं को करने की अनुमति देने वाले।

10.3. समाप्ति नोटिस का प्रभाव

यदि एएआई या जीजीआईएएल द्वारा इस खंड 10 के अनुसार समाप्ति की सूचना दी जाती है, तो समाप्ति की सूचना की सेवा की तारीख के बाद नब्बे (90) दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद किसी भी समय, जब तक कि समाप्ति की सूचना जारी करने वाले परिस्थितियों का पूरी तरह से निवारण नहीं किया गया है या लागू होना बंद नहीं हो गया है, समाप्ति की सूचना जारी करने वाले पक्ष तत्काल प्रभाव से इस समझौते को समाप्त कर सकता है।

10.4. समाप्ति के परिणाम

यदि यह समझौता कारण 10.2 के अनुसार समाप्त होता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि 'एएआई सेवाओं की अनुपलब्धता के कारण हवाई अड्डे के संचालन को बंद नहीं किया गया है, 'एएआई तुरंत सभी एएआई उपकरण, मैनुअल, चार्ट और अन्य 'मेमोरेंडम को 'जैसा है-जहां है' की स्थिति में आपसी सहमति के आधार पर भारत सरकार को सौंप देगा ताकि भारत सरकार एएआई अधिनियम, 1994 की धारा 38 के अनुसार तुरंत कार्रवाई कर सके। एएआई उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।

इसके बाद यह जीजीआईएएल का एकमात्र विवेकाधिकार होगा कि वह एएआई द्वारा हवाई अड्डे पर प्रदान की जाने वाली एएएआई सेवाओं के समकक्ष सेवाओं को तीसरे पक्ष के माध्यम से प्रदान करने के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले उचित कदम उठाने के लिए जीओआई से परामर्श करे। एएआई उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जीजीआईएएल को सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।

11. नियुक्ति

11.1. एएआई द्वारा नियुक्ति

"यहां किसी भी बात के विपरीत, एएआई जीजीआईएएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस समझौते के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार या दायित्वों को सौंपेगा या अन्यथा हस्तांतरित नहीं करेगा, बशर्ते कि एएआई के अधिकारों या दायित्वों का ऐसा असाइनमेंट या हस्तांतरण किसी भी लागू अधिनियम और कानूनों का उल्लंघन न हो। ऐसे असाइनी या अंतरिती इस समझौते के नियमों और शर्तों से बंधे होंगे।

11.2. जीजीआईएएल द्वारा नियुक्ति

यहां किसी भी बात के विपरीत, लेकिन खंड 16.5 के अधीन, जीजीआईएएल एएआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस 'समझौते' के तहत अपने अधिकारों या दायित्वों के सभी या किसी भी हिस्से को सौंप या अन्यथा हस्तांतरित नहीं करेगा; हालाँकि, जीजीआईएएल, ऐसी पूर्व लिखित सहमति के बिना, लेकिन एए को पूर्व लिखित सूचना पर:

i. ''इसके तहत अपने सभी या पर्याप्त रूप से सभी अधिकारों और दायित्वों को जीजीआईएएल के एक सहयोगी को हस्तांतरित करें;
ii. जीजीआईएएल में स्वामित्व हित खरीदने के लिए इसके अधिकारों और दायित्वों के किसी भी हिस्से को हस्तांतरित करें
iii. ऋणदाताओं को हस्तांतरण, इस समझौते के तहत जीजीआईएएल अधिकार किसी भी वित्तपोषण समझौते के तहत देय राशि के लिए संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में जिसके तहत जीजीआईएएल ने पैसे उधार लिए हैं; या
iv. रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार अपने अधिकारों और दायित्वों को या उसके पर्याप्त रूप से को जीओजी को हस्तांतरित करें।

12. विवाद समाधान

12.1. बातचीत और सुलह

'समझौता और सुलह' पक्ष इस समझौते के संबंध में या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद, मतभेद, दावे, प्रश्न या विवाद को बातचीत के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए अपने संबंधित उचित प्रयास करेंगे ("विवाद")।

12.2 मध्यस्थ को संदर्भ (Reference to Arbitrator)

स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण (Independent Regulatory Authority) के प्रासंगिक विधान में विवादों के निपटारे के संबंध में निहित किसी भी बात के अधीन रहते हुए, कोई भी विवाद जिसे पक्षकार क्लॉज़ 12.1 के अनुसार साठ (60) दिनों के भीतर (या ऐसी लंबी अवधि के लिए जिसे पक्षकार सहमत हों) किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को विवाद के अस्तित्व की लिखित सूचना देने के बाद हल करने में असमर्थ हैं, उसे भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 ("अधिनियम") और/या उसके किसी भी विधायी संशोधन के अनुसार और UNCITRAL नियमों ("नियम") के अनुसार अधिनियम के अनुसार नियुक्त तीन मध्यस्थों द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से अंतिम रूप से निर्धारित किया जाएगा।

12.3 विविध (Miscellaneous)

मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा। प्रत्येक पक्ष नियमों के अनुसार मध्यस्थता के खर्च का भुगतान करेगा और लागत के लिए अंतिम देयता मध्यस्थ पंचाट (arbitral award) के अनुसार होगी। कोई भी मध्यस्थ किसी भी पक्ष का वर्तमान या पूर्व कर्मचारी या एजेंट, या सलाहकार या वकील नहीं होगा या किसी भी तरह से पक्षों से संबंधित या निकटता से जुड़ा नहीं होगा। मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी。

12.4 निर्णय/अवार्ड (Decision/Award)

इस क्लॉज़ 12 के अनुसार नियुक्त अधिकरण का कोई भी निर्णय या पंचाट पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। पक्षकार सक्षम क्षेत्राधिकार की किसी भी अदालत द्वारा ऐसे पंचाट की अपील

या किसी भी समीक्षा के किसी भी अधिकार को त्यागते हैं, जहाँ तक ऐसा त्याग वैध रूप से किया जा सकता है। पक्षकार सहमत हैं कि किसी भी मध्यस्थता पंचाट को पक्षकारों द्वारा प्रासंगिक पक्ष की संपत्तियों के विरुद्ध लागू किया जा सकता है, चाहे वे संपत्तियाँ कहीं भी स्थित हों या पाई जाएँ, और किसी भी मध्यस्थता पंचाट पर निर्णय (जहाँ आवश्यक हो) उसके सक्षम क्षेत्राधिकार की किसी भी अदालत द्वारा दर्ज किया जा सकता है। पक्षकार किसी भी मध्यस्थता पंचाट के प्रवर्तन के प्रयोजनों के लिए ऐसी किसी भी अदालत के क्षेत्रीय और धन संबंधी (pecuniary) क्षेत्राधिकार को स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं。

12.5 क्षेत्राधिकार (Jurisdiction)

यह समझौता पणजी, गोवा (Panjim, Goa) की अदालत के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।。

13. बीमा का रखरखाव (Maintenance of Insurance)

13.1 एएआई, जीजीआईएएल से लागत वसूली के आधार पर / कार्य जमा (work deposit) के आधार पर, अपनी संपत्ति के नुकसान या क्षति, तीसरे पक्ष के दायित्व, कामगार मुआवजा नीति (workmen's compensation policy) और अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुसार आवश्यक या विवेकपूर्ण समझे जाने वाले किसी अन्य बीमा को कवर करने के लिए हर समय आवश्यक बीमा प्रभावी करेगा और बनाए रखेगा और जीजीआ जेडाई और ऋणदाता (Lenders) इस समझौते के तहत एएआई की बीमा पॉलिसियों में सह-बीमित (co-insured) के रूप में नामित किए जाएंगे。

13. समनुदेशन

13.1 एएआई द्वारा समनुदेशन

इसके विपरीत किसी भी बात के बावजूद, एएआई जीजीआईएएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस समझौते के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार या दायित्व को समनुदेशित या अन्यथा हस्तांतरित नहीं करेगा, बशर्ते कि एएआई के अधिकारों या दायित्वों का ऐसा समनुदेशन या हस्तांतरण किसी भी लागू अधिनियमों और संविधि के उल्लंघन में न हो। ऐसा समनुदेशिती (assignee) या transferee इस समझौते के नियमों और शर्तों से बंधा होगा।

i. जीजीआईएएल के किसी एफिलिएट को इसके तहत अपने सभी या लगभग सभी अधिकारों और दायित्वों को स्थानांतरित कर सकता है;
ii. जीजीआईएएल में स्वामित्व हितों के खरीदार को इसके तहत अपने अधिकारों और दायित्वों के सभी या किसी भी हिस्से को स्थानांतरित कर सकता है;
iii. किसी भी वित्तपोषण समझौते के तहत देय राशि के लिए संपार्श्विक सुरक्षा (collateral security) के रूप में इस समझौते के तहत जीजीआईएएल के अधिकारों को ऋणदाताओं को स्थानांतरित कर सकता है जिसके तहत जीजीआईएएल ने पैसा उधार लिया है; या
iv. कंसैशन समझौते की शर्तों के अनुसार जीओजी को इसके तहत अपने सभी या लगभग सभी अधिकारों और दायित्वों को स्थानांतरित कर सकता है।

13. बीमा का रखरखाव यहाँ इस दस्तावेज़ (खंड 13.2 से खंड 16.8 तक) का हिंदी में सारांश और अनुवाद प्रस्तुत है:

13.2 नीतियां (Policies)

खंड 13.1 के तहत प्राप्त और बनाए जाने वाले बीमा के संबंध में किसी भी बीमा पॉलिसी प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के तीस (30) दिनों के भीतर, एएआई जीजीआईएएल को सूचित करेगा कि ऐसे बीमा प्राप्त कर लिए गए हैं और यदि ऋणदाताओं (Lenders) द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो जीजीआईएएल को ऐसे पॉलिसी प्रमाण पत्र की प्रतियां, बीमा पॉलिसियों की प्रतियां और इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करेगा कि ऐसे बीमा के संबंध में बीमा प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया है।

13.3 जारी करने में असफल होने का उपाय

- एएआई द्वारा जीजीआईएएल को ऐसे रद्दकरण, संशोधन या गैर-नवीकरण का कम से कम पैंतालीस (45) दिन का नोटिस दिए जाने तक किसी भी बीमा को रद्द, संशोधित या समाप्त/लैप्स नहीं होने दिया जाएगा।

13.3 बीमा कराने में विफलता का उपाय

यदि एएआई इसके तहत अपनी जिम्मेदारी वाले सभी बीमा को प्रभावी करने और चालू रखने में विफल रहता है, तो जीजीआईएएल के पास ऐसे किसी भी बीमा को चालू रखने, ऐसे प्रीमियम का भुगतान करने और एएआई से उसकी लागत वसूल करने का विकल्प होगा।

13.4 बीमा आय का उपयोग

समझौते के तहत एएआई को भुगतान किए जाने वाले सभी बीमा दावों का उपयोग भौतिक क्षति से संबंधित न होने वाले बीमा आय को छोड़कर, क्षतिग्रस्त संपत्ति के पुनर्निर्माण के लिए किया जाएगा।

14. नोटिस

14.1 लिखित संचार

ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग प्रक्रिया और इंसिडेंट रिपोर्टिंग प्रक्रिया को छोड़कर, इस समझौते के तहत या इसके संबंध में किया जाने वाला कोई भी संचार लिखित रूप में किया जाएगा और, जब तक अन्यथा न कहा जाए, फैक्स, ईमेल आदि के माध्यम से किया जा सकता है।

14.2 पते

इस समझौते के तहत या इसके संबंध में बनाए जाने या वितरित किए जाने वाले किसी भी संचार या दस्तावेज़ के लिए प्रत्येक पक्ष का पता और फैक्स नंबर (और विभाग या अधिकारी, यदि कोई हो, जिसके ध्यान में संचार किया जाना है) इस प्रकार है:

जीएमआर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

ध्यानार्थ: मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer)

381/3, मथुरा वन, प्रथम तल, एनएच17,

पोरवोरिम, गोवा 403501

ई-मेल:

फैक्स नंबर: 0832-2408450

भारतीय विमानपतन प्राधिकरण

ध्यानार्थ: अध्यक्ष (Chairman)

राजीव गांधी भवन,

सफदरजंग हवाईअड्डा,

नई दिल्ली - 110 003

ई-मेल:

फैक्स: 011 24641088

(या कोई अन्य वैकल्पिक पता, फैक्स नंबर या विभाग या अधिकारी जिसे कोई पक्ष कम से कम पांच व्यावसायिक दिनों के नोटिस द्वारा दूसरे पक्ष को सूचित कर सकता है।)

15. डीम्ड डिलीवरी

इस समझौते में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, इस समझौते के तहत या इसके अनुसरण में कोई भी संचार प्राप्तकर्ता द्वारा (यदि फैक्स द्वारा भेजा गया है) उस स्थान पर अगले कार्य दिवस पर प्राप्त माना जाएगा जहां इसे भेजा गया है (या किसी अन्य मामले में) जब खंड 13.2 द्वारा आवश्यक पते पर छोड़ा जाता है या उस पते पर पोस्टेज प्रीपेड पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाने के बाद 10 ऐसे कार्य दिवसों के भीतर। इन उद्देश्यों के लिए, कार्य दिवस शनिवार, रविवार और राजपत्रित अवकाशों के अलावा अन्य दिन हैं।

16. विविध

16.1 विभाज्यता

इस समझौते के पूर्ववर्ती खंडों या प्रावधानों में से किसी की भी अमान्यता या प्रवर्तनीयता, पूर्ण या आंशिक रूप से, ऐसे खंडों या प्रावधानों के शेष भाग की वैधता या प्रवर्तनीयता को प्रभावित नहीं

करेगी। यदि इस समझौते का कोई भी महत्वपूर्ण प्रावधान अमान्य या अपरिवर्तनीय आयोजित किया जाता है, तो पक्ष तुरंत ऐसे अमान्य या अपरिवर्तनीय प्रावधान को बदलने के लिए अच्छे विश्वास में नए प्रावधानों पर पुनर्विचार करेंगे ताकि इस समझौते को यथासंभव इसके मूल इरादे और प्रभाव के करीब बहाल किया जा सके।

16.2 संपूर्ण समझौता

यह समझौता, इसके किसी भी अनुसूची या प्रदर्शन सहित, इस समझौते के विषय वस्तु के संबंध में एएआई और जीजीआईएएल के बीच संपूर्ण समझौते को शामिल करता है और ऐसे विषय वस्तु के संबंध में अन्य सभी समझौतों, चाहे लिखित हों या मौखिक, का स्थान लेता है।

16.3 संशोधन

कोई भी संशोधन, परिवर्तन या अन्य बदलाव किसी भी पक्ष पर तब तक बाध्यकारी नहीं होगा जब तक कि दोनों पक्षों द्वारा लिखित रूप में सहमति न दी जाए।

16.4 अतिरिक्त दस्तावेज और कार्रवाइयां

16.4.1 जीजीआईएएल वाणिज्यिक संचालन शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए प्रारंभिक दो साल की अवधि के लिए डीजीसीए से हवाईअड्डा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा, और उसके बाद तुरंत पूर्ववर्ती दो साल की अवधि के लिए जारी किए गए हवाई अड्डा लाइसेंस की समाप्ति से पहले आगे की दो साल की अवधि के लिए इसके नवीनीकरण के लिए। समय-समय पर ऐसे लाइसेंस को प्राप्त करने, नवीनीकृत करने और बनाए रखने के लिए, एएआई लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करेगा और किसी भी जांच और प्रक्रियाओं के प्रदर्शन में जीजीआईएएल और डीजीसीए की सहायता करेगा और सीएनएस-एटीएम सेवाओं के संबंध में डीजीसीए के सभी नुस्खों के अनुरूप होगा।

16.4.2 प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को ऐसे अतिरिक्त दस्तावेज निष्पादित करने और वितरित करने के लिए सहमत है, और ऐसे अतिरिक्त कदम उठाने और सहायता प्रदान करने के लिए सहमत है, जैसा कि इस समझौते द्वारा परिकल्पित लेनदेन को पूरा करने के लिए और इस समझौते के इरादे को प्रभावी करने के लिए उचित रूप से आवश्यक हो सकता है।

16.5 देर से भुगतान के लिए ब्याज

इस समझौते के अनुसार किसी पक्ष को देय कोई भी राशि और भुगतान देय होने की तारीख के बाद भी शेष रहने पर ब्याज लगेगा (निर्णय से पहले और बाद में दोनों), ऐसा ब्याज उस तारीख से दिन-प्रतिदिन के आधार पर उस राशि के पूर्ण भुगतान तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्राइम लेंडिंग रेट से दो (2) प्रतिशत अंक ऊपर की दर से अर्जित होगा जो समय-समय पर प्रभावी हो।

16.6 कोई साझेदारी नहीं

न तो यह समझौता और न ही कोई अन्य समझौता या व्यवस्था जिसका यह हिस्सा बनता है, और न ही ऐसे किसी समझौते या व्यवस्था के तहत अपने संबंधित दायित्वों का पक्षों द्वारा प्रदर्शन, पक्षों के बीच साझेदारी का गठन करेगा। किसी भी पक्ष के पास किसी अन्य पक्ष को अपने एजेंट के

रूप में या अन्यथा बाध्य करने का कोई अधिकार नहीं होगा (जब तक कि इस समझौते के आधार पर या अन्यथा लिखित रूप में स्पष्ट रूप से प्रदान न किया गया हो और निरस्त न किया गया हो)।

16.7 कोई तृतीय पक्ष लाभार्थी नहीं

यह समझौता यहां के पक्षों के एकमात्र और अनन्य लाभ के लिए है और यहां ऋणदाताओं को स्पष्ट रूप से दिए गए अधिकारों को छोड़कर, किसी भी तीसरे पक्ष के साथ कोई संविदात्मक संबंध, या पक्ष में कार्रवाई का कारण नहीं बनाएगा।

16.8 प्रतिरूप

यह समझौता एक या अधिक प्रतिरूपों में निष्पादित किया जा सकता है जिनमें से प्रत्येक एक मूल होगा और जिनमें से सभी को एक और समान समझौता माना जाएगा।

16.9 समय का महत्व

उल्लिखित तिथियों, अवधियों या दिन के समय के संबंध में और इस समझौते के अनुसार उनके स्थान पर प्रतिस्थापित की जाने वाली किसी भी तिथि, अवधि या दिन के समय के संबंध में, इस समझौते में समय का विशेष महत्व होगा।

16.10 समय की गणना

इस समझौते में संदर्भित समय भारतीय मानक समय (आईएसटी) में हैं। इस समझौते के तहत निर्धारित या अनुमत किसी भी समय अवधि की गणना करते उस अधिनियम, घटना या चूक के दिन को शामिल किया जाएगा जिससे निर्धारित समय अवधि शुरू होती है यदि गणना की गई अवधि का अंतिम दिन व्यावसायिक दिन नहीं है, तो अवधि अगले व्यावसायिक दिन के अंत तक चलेगी।

17. शासकीय भाषा

वह भाषा जो इस समझौते की व्याख्या को नियंत्रित करती है, अंग्रेजी भाषा है। किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिए जाने वाले सभी नोटिस और इस समझौते से किसी भी तरह से प्रासंगिक और इस समझौते के निष्पादन, कार्यान्वयन और समाप्ति से प्रासंगिक सभी अन्य संचार और प्रलेखन, जिसमें किसी भी विवाद समाधान कार्यवाही तक सीमित नहीं है, अंग्रेजी भाषा में होंगे।

18. शासी कानून

यह समझौता भारत के कानूनों के अनुसार शासित और व्याख्यायित किया जाएगा।

19. प्रसंविदा

इस समझौते के तहत पार्टियों के दायरे तक सीमित, दोनों पक्ष बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से कि

i. दायरे तक सीमित, दोनों पक्ष बिना शर्त और अकाट्य रूप से सहमत हैं कि, यदि इस समझौते या इस समझौते द्वारा परिकल्पित किसी भी लेनदेन के संबंध में पक्षों या संपत्तियों के खिलाफ किसी भी अधिकारक्षेत्र में कोई कार्यवाही की जाती है, तो पक्षों द्वारा या उनकी ओर से या उनकी संपत्तियों के संबंध में ऐसी कार्यवाही से कोई उन्मुक्ति (immunity) का दावा नहीं किया जाएगा;

ii. किसी भी अधिकारक्षेत्र में ऐसी किसी भी कार्यवाही में पक्षों के खिलाफ किसी भी निर्णय या पंचाट के प्रवर्तन के संबंध में आम तौर पर सहमति व्यक्त करता है कि ऐसी कार्यवाही के संबंध में कोई राहत दी जाए या कोई प्रक्रिया जारी की जाए (जिसमें किसी भी ऐसी संपत्ति के विरुद्ध या उसके संबंध में किसी भी ऐसे निर्णय या पंचाट या ऐसे निर्णय या पंचाट से उत्पन्न होने वाले किसी आदेश का निर्माण, प्रवर्तन या निष्पादन शामिल है, चाहे उसका उपयोग या इच्छित उपयोग कुछ भी हो)。

जिसके साक्ष्य में यह समझौता प्रारंभ में उल्लिखित तिथि पर किया गया है।

एएआई के लिए व की ओर से के द्वारा हस्ताक्षरित अनिल कुमार दत्ता, सदस्य (एएनएस) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	मुहर सहित हस्ताक्षरित दिनांक 04.07.2018

जीजीआईएएल के लिए व की ओर से के द्वारा हस्ताक्षरित के नारायण राव, निदेशक, जीएमआर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	हस्ताक्षरित दिनांक 4.7.18
गवाह:	
1.रणवीर चौधरी, एजीएम	हस्ताक्षर
2. पीएनएस कुशवाहा, ईडी (सीएनएस-ए)	दिनांक 4/7/18 के साथ हस्ताक्षर

अनुसूची 1

भाग 1: एयरपोर्ट कंपनी के उपकरण

1) रनवे
2) रनवे लाइटिंग और मार्किंग
3) टैक्सीवे
4) टैक्सीवे लाइटिंग और मार्किंग
5) साइनेज
6) एप्रन
7) एप्रन लाइटिंग और मार्किंग
8) फैसिलिटी
9) एएआई उपकरणों से संबंधित सिविल कार्य (केवल फाउंडेशन)
10) पीएपीआई और अप्रोच लाइटिंग
11) एयरोड्रम बीकन (टावर पर)
12) लैंडिंग दिन और रात की मार्किंग
13) विंड डायरेक्शन इंडिकेटर (प्रकाशयुक्त)

14) आइसोलेशन बे
15) सेकेंडरी पावर सप्लाई
16) एटीसी और एयरपोर्ट फायर ब्रिगेड के बीच हॉट लाइन्स
17) क्रैश बेल, केबलिंग और सायरन
18) एयरफील्ड लाइटिंग के लिए कंट्रोल पैनल और मॉनिटरिंग सिस्टम
19) विजुअल एड्स का उन्नयन (भविष्य का)
20) साइट एयरपोर्ट नेविगेशन एड्स/रडार के लिए अप्रोच सड़कों के अलावा, परिचालन क्षेत्र के लिए अप्रोच सड़कें
21) एएआई कर्मियों और उसके एजेंटों के लिए कार्यालय
22) नेविगेशनल एड्स/रडार इंस्टॉलेशन के लिए इमारतें
23) एटीसी, सीओएम केंद्र और ई/आर में ईपीएबीएक्स एक्सटेंशन, ऑटो टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट
24) इकाओ विनिर्देश के अनुसार सिग्नल क्षेत्र
25) एटीसी टॉवर में इंटरनेट कनेक्शन

भाग 2: एएआई उपकरण

एएआई प्रस्तावित विमान संचालन के लिए आवश्यक प्रासंगिक इकाओ एनेक्सी और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुसार सीएनएस-एटीएम उपकरण प्रदान करेगा जिसमें न्यूनतम निम्नलिखित उपकरण प्रदान किए जाते हैं:

क्र.सं.	**सुविधा**	**मात्रा**
1.	**नेविगेशनल और लैंडिंग एड्स**	
क)	आईएलएस+एलपीडीएमई	01
ख)	टर्मिनल वीओआर+एचपीडीएमई	01
2.	**संचार**	

क्र.सं.	सुविधा	मात्रा
क)	वीएचएफ ट्रांसमीटर और रिसीवर	04
ख)	हॉट लाइन्स	03
ग)	वॉकी-टॉकी	02
घ)	एसटीडी सुविधा के साथ टेली-फैक्स	02
ङ)	इंटरकॉम सुविधा	
च)	ओएटीआईएस	01
3.	**अन्य संबंधित उपकरण**	
क)	निगरानी इनपुट के लिए स्वचालन प्रणाली (एसओडी, एफडीडी, वीसीसीएस, डिजिटल क्लॉक सहित)	04
ख)	एटीसी वर्कस्टेशन	04
ग)	एएमएसएस	
घ)	चैनल रिकॉर्डर	

क्र.सं.	सुविधा	मात्रा
ङ)	जीपीएस क्लॉक	
च)	इंटरनेट सुविधा के साथ कंप्यूटर/प्रिंटर	04

इसके अलावा, निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा:

1. दूसरे आईएलएस और एएसएमजीसीएस के लिए भविष्य का प्रावधान।
2. नेविगेशनल उपकरणों में से प्रत्येक के लिए यूपीएस।
3. मोपा प्रचालनों के लिए मोपा में अप्रोच कंट्रोल सेवाएं और डाबोलिम बुनियादी ढांचे का उन्नयन, यदि एएआई द्वारा प्रबंधित किया जाना हो।

अनुसूची 2

एएआई कर्मियों और एएआई उपकरणों के लिए कार्यालय, कार पार्किंग और स्टैंडबाय बिजली की आपूर्ति:

1) कंट्रोल टॉवर: जीजीआईएएल आवश्यकतानुसार विभिन्न एटीएस यूनिटों, नेव-एड्स और रडार बिल्डिंग को रखने के लिए एक उपयुक्त क्षेत्र या तकनीकी ब्लॉक उपलब्ध कराएगा।
2) कार्यालय: जीजीआईएएल निर्धारित वर्ग मीटर का एक क्षेत्र उपलब्ध कराएगा।
3) कार पार्किंग: जीजीआईएएल, एटीसी कॉम्प्लेक्स में कार पार्किंग की जगह उपलब्ध कराएगा।
4) स्टैंडबाय आपूर्ति: जीजीआईएएल, एएआई सेवाओं के प्रावधान के लिए हवाईअड्डे पर एएआई को पर्याप्त स्टैंडबाय विद्युत क्षमता उपलब्ध कराएगा।

अनुसूची 3

सीएनएस/एटीएम सेवाएं

एएआई ऐसे वायुक्षेत्र की पार्श्व (lateral) और ऊर्ध्वाधर (vertical) सीमाओं के भीतर वायुक्षेत्र विन्यास के अनुसार हवाईअड्डे पर निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेगा और उनका समन्वय करेगा:

1) सतही आवाजाही नियंत्रण (surface movement control) सहित एयरोड्रम नियंत्रण सेवा;
2) एरिया कंट्रोल/एरिया रडार कंट्रोल सेवा (यदि योजना बनाई गई हो);

3) एयरोनॉटिकल मोबाइल सर्विस (एएमएस), एयरोनॉटिकल फिक्स्ड सर्विसेज (एएफएस), एयरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन सर्विस (एआईएस), फ्लाइट इंफॉर्मेशन सर्विस, एडवाइजरी सर्विस, अलर्टिंग सर्विस और सर्च एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सर्विसेज जैसी संबंधित सेवाएं, जो प्रासंगिक इकाओ एनेक्सी और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुसार और प्रस्तावित विमान संचालन के लिए आवश्यक हों;

1. एएआई अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं के लिए स्वतंत्र सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (safety management system) विकसित करेगा। एएआई अपनी सुविधाओं और सेवाओं से जुड़े सुरक्षा मुद्दों के लिए जिम्मेदार होगा;
2. अप्रोच कंट्रोल/अप्रोच रडार कंट्रोल सेवा एएआई द्वारा MoD (समेकित मुख्यालय - भारतीय नौसेना) द्वारा जारी एनओसी में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार प्रदान की जाएगी।

अनुसूची 4

अप्रत्याशित की परिभाषा

इस समझौते में, "फोर्स मेज्योर" (Force Majeure) से तात्पर्य पैराग्राफ (क) में संदर्भित किसी ऐसे कार्य, घटना या परिस्थिति या कृत्यों, घटनाओं और परिस्थितियों के संयोजन से है जो प्रभावित पक्ष के उचित नियंत्रण से बाहर हैं और जिन्हें प्रभावित पक्ष अच्छे उद्योग अभ्यास (Good Industry Practice) द्वारा या किसी भी सुविधा के निर्माण के संबंध में उचित कौशल और देखभाल के प्रयोग से रोक नहीं सकता था, और जो, या जिसके किसी भी परिणाम के कारण, इस समझौते के तहत किसी भी पक्ष द्वारा अपने दायित्वों के प्रदर्शन को पूरी तरह या आंशिक रूप से रोका, बाधित या विलंबित किया जाता है।

"फोर्स मेज्योर" में निम्नलिखित घटनाएं और परिस्थितियां शामिल हैं, बशर्ते कि वे, या उनके परिणाम, उपर्युक्त आवश्यकताओं को पूरा करते हों:

क. निम्नलिखित प्रकार के कार्य, घटनाएं या परिस्थितियां:

i. किसी पक्ष या उसके ठेकेदारों, या उनके संबंधित उप-ठेकेदारों, सेवकों या एजेंटों से जुड़े हड़ताल, तालाबंदी या अन्य औद्योगिक कार्रवाई या श्रम विवाद, ऐसे किसी भी मामले में भारत के भीतर काम के निष्पादन या भारत के भीतर माल या सेवाओं की आपूर्ति पर नियोजित;

ii. बिजली कड़कना (Lightning), भूकंप, आंधी, चक्रवात, तूफान, बवंडर, आंधी (storm), बाढ़, बहाव (washout), भूस्खलन, मृदा अपरदन, धंसना (subsidence), सूखा या पानी की कमी, और अन्य असामान्य या अत्यधिक प्रतिकूल मौसम या पर्यावरणीय स्थितियां या तत्वों के कार्य, उल्कापिंड या विमान या अन्य हवाई उपकरणों से गिरने वाली वस्तुएं, सुपरसोनिक गति से यात्रा करने वाले विमान या अन्य हवाई उपकरणों के कारण होने वाली दबाव तरंगों की घटना, आग या विस्फोट, रासायनिक या रेडियोधर्मी संदूषण या आयनकारी विकिरण (उन परिस्थितियों को छोड़कर जहां विस्फोट या संदूषण या विकिरण का स्रोत या कारण प्रभावित पक्ष द्वारा या प्रभावित पक्ष द्वारा नियोजित या लगे हुए लोगों द्वारा साइट पर या उसके पास लाया जाता है या लाया गया है, जब तक कि यह हवाईअड्डे के किसी भी हिस्से के निर्माण या संचालन के लिए आवश्यक न हो या न रहा हो);

iii. हवाईअड्डे पर कोई भी दुर्घटना;

iv. हवाईअड्डे के खुलने की तारीख से पहले होने वाले किसी भी माध्यम से पारगमन के दौरान कार्गो की कोई भी आकस्मिक हानि या क्षति जो हवाईअड्डे में शामिल किए जाने के लिए अभिप्रेत है;

v. हवाईअड्डे की हानि या गंभीर आकस्मिक क्षति;

vi. महामारी (Epidemic);

vii. युद्ध का कार्य (चाहे घोषित हो या अघोषित), आक्रमण, सशस्त्र संघर्ष या विदेशी शत्रु का कार्य, नाकाबंदी, प्रतिबंध, क्रांति, दंगा, बम या नागरिक उपद्रव;

viii. तोड़फोड़, आतंकवाद या ऐसे कृत्यों की धमकी;

ix. दैवयोग (Act of God); या

x. पूर्ववर्ती के समान प्रकृति का कोई भी कार्य, घटना या परिस्थिति।

ख. बशर्ते कि निम्नलिखित में से कोई भी मामला या उसके परिणाम फोर्स मेज्योर का गठन करने या उसका कारण बनने में सक्षम नहीं होंगे:

i. कोई भुगतान करने में विफलता या असमर्थता; या

ii. बाजार की स्थिति के प्रभाव, जब तक कि ऐसी बाजार स्थितियां स्वयं फोर्स मेज्योर घटना के कारण या उसके परिणाम स्वरूप न हों।

ग. और इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि उपर्युक्त पैराग्राफ (क) में संदर्भित कोई कार्य, घटना या परिस्थिति जो मुख्य रूप से किसी तीसरे पक्ष या पक्षों को प्रभावित करती है (बिना किसी सीमा के, हवाईअड्डे के निर्माण, ठेकेदार या ऑपरेटर(ऑपरेटरों), किसी पक्ष के सहयोगी (affiliate) या

किसी पक्ष या उसके सहयोगी के उप-ठेकेदारों सहित) जो किसी पक्ष को उसके दायित्वों के प्रदर्शन में रोकती है, बाधित करती है या में विलंब करती है, ऐसे पक्ष के लिए इसके तहत फोर्स मेज्योर का गठन करेगी, यदि और उस सीमा तक कि यह एक ऐसी प्रकार या चरित्र की है कि, यदि यह इस क्लॉज़ पर भरोसा करने के इच्छुक पक्ष के साथ घटी होती, तो इस अनुसूची 4 के तहत फोर्स मेज्योर की परिभाषा के अंतर्गत आती।